

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

29 मार्च, 1990

खण्ड 2 अंक 8

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 29 मार्च, 1990

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(8)1
अतारांकित प्र व एवम उत्तर	(8) 26
विभिन्न विशयो का उठाया गया	(8) 32
ध्याना कर्षणस प्रस्ताव	(8) 33

महेन्द्र गढ तथा रिवाडी जिलो मे भूमिगत जल स्तर नीचे जाने सम्बन्धी	
वक्तव्य	
सिचाई तथा बिजली राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(8) 34
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
पक्की ईटो की किमतो मे वृद्धि के कारण लोगो मे भारी रोश होने सम्बन्धी	(8) 37
वक्तव्य	
खाध तथा पूर्ति राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(8) 38
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	(8) 40
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(8) 42
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(8) 42
समितियो की रिपोर्टस पे ा करना	
1. कमेटी औन सबौडिनेट लैजिसले ान की 21वी रिपोर्ट	(8) 43

2. कमेटी औन दी वैल्फेयर औफ भाडयूल्ड कास्टस एण्ड भाडयूल्ड ट्राईब्ज की 15 वी रिपोर्ट	(8) 43
बिल्ज	
1. दि हरियाणा म्यूनिसिपल अमैडमैड बिल 1990	(8) 43
2. दि हरियाणा अर्बन कंट्रोल औफ रेट एण्ड ऐविक इन अमैडमैड बिल 1990	(8) 49
3. दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली अलाउसिंज एण्ड पैन् इन औफ मैम्बर्ज अमैडमैड बिल 1990	(8) 52
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव	
15.1.1990 तक हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लिए गए ऋण को द ांने वाले विवरण सम्बन्धी	(8) 56

हरियाणा विधान सभा

वीरवार , 29 मार्च, 1980

विधान सभा की बैठक हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1 चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

ताराकित प्र न एवम उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर, साहेबान, अब सवाल होंगे।

ताराकित प्र न सख्या 1073

यह प्रान पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, कामरेड हरपाल सिंह, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Sainik School at Pali, Gothara

***1124. Capt. Ajay Singh Yadav:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Sainik School at Pati Gothara, District Rewari; and

(b) if so, the time by which the aforesaid school is likely to be opened ?

मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला:

(क) जी नहीं।

(ख) प्र न ही नहीं उठता।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पाली गोठडा गांव में सैनिक स्कूल खोले जाने के लिए चीफ सैक्रेटरी, हरियाणा की तरफ से एक लैटर ड्रू किया गया था जिसके तहत यह स्कूल वहा पर 1986 में खुल जाना चाहिए था। गांव वालों ने इस स्कूल के खोले जाने के लिए फ्री ऑफ कौस्ट जमीन देने की ऑफर की थी। हमारे डिप्टी प्राईम मिनिस्टर ने भी 1 मई, 1989 को ऐलान किया था कि इस गांव में सैनिक स्कूल खोला जायेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पाली गोठडा गांव में किन कारणों से सैनिक स्कूल नहीं खोला जा रहा है ?

चौधरी औम प्रका । चौटाला: स्पीकर साहब, रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रपोजल आई थी। इस प्रकार के स्कूल खोले जाने के लिए एक कमेटी बनी हुई है। इस कमेटी के हिसाब से ही, पहली गवर्नमेंट के वक्त की प्रपोजल उस गांव में सैनिक स्कूल खोलने की थी। उसके बाद चौधरी बंसी लाल की सरकार के समय में पाली गांव में सैनिक खोलने की प्रपोजल रिजैक्ट कर दी गई क्योंकि उस समय की कमेटी की रिपोर्ट वहा पर स्कूल खोलने के बारे में ठीक नहीं आई थी।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, सैनिक स्कूल जो खोला जाना था, उसका दक्षिण हरियाणा में खोले जाने का प्रावधान था। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि वहां पर रेलवे स्टेसन की भी सुविधा है, रोड की भी सुविधा है और पानी भी उपलब्ध है। जब सारी सुविधाएँ अवेलेबल हैं तो फिर स्कूल वहां पर क्यों नहीं खोला जा रहा?

श्री अध्यक्ष: सी०एम० साहब यने बताया है कि आपकी ही सरकार ने वहां पर स्कूल खोलने की प्रपोजल बनाई थी और आपकी ही सरकार ने उस प्रपोजल को रिजैक्ट किया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, कि पिछली सरकार ने ऐसी किसी प्रपोजल को रिजैक्ट किया था।

श्री अध्यक्ष: गलत भाव को रिकार्ड न किया जाये।

चौधरी ओमप्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हें पुनः बताना चाहूंगा कि चौधरी भजन लाल जी की सरकार के समय में पोली गांव में सैनिक स्कूल खोलने की प्रपोजल थी लेकिन चौधरी बंसी लाल की सरकार ने उस प्रपोजल को रिजैक्ट कर दिया था।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि कांग्रेस सरकार के समय में ही वहां पर सैनिक स्कूल खोलने की योजना थी और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही इस प्रपोजल को रिजैक्ट कर दिया गया था। मैं

इनसे जानना चाहूंगा कि ऐसे स्कूल खोलने के लिए क्या मापदण्ड होने चाहिए ? दूसरे, मैं यह बताना चाहूंगा कि रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ जिले में सारे हरियाणा से ज्यादा ऐक्स सर्विसमैन है और इस समय भी सबसे ज्यादा व्यक्ति इन्हीं जिलों के फौज में भर्ती है। इन्होंने बताया है कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वहां पर यह सैनिक स्कूल नहीं खोला जा रहा और बंसी की सरकार ही इस स्कीम को रिजैक्ट कर गई। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, क्या उन कामों को पूरा किया जायेगा। यानी कांग्रेस सरकार की जो अच्छी पालिसी है उन पर भी ये अमल करेंगे ?

Mr. Speaker: This is no supplementary. Please take your seat.

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़ जिले में सैनिकों की तादाद को देखते हुए सैनिक सैक बन हुआ था। मैं मुख्यमंत्री महोदय यह जानना चाहूंगा कि क्या उनकी सरकार की तरफ से केन्द्र सरकार को इस जिले में सैनिक स्कूल खोले जाने का कोई प्रस्ताव रखा गया है ?

चौधरी औमप्रकाश चौटला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्राफ़ेसर साहब को बताना चाहता हूँ कि यह प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार की थी। इस स्कूल के लिए हरियाणा सरकार से जमीन और बिल्डिंग मांगी गई थी। फिलहाल एक सैनिक स्कूल की प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार की तरफ से भेजी गई है। उसको मंजूर

करना या न करना केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। केन्द्र सरकार की तरफ से जो तयवीज बनी है उस पर सरकार कमेटी के माध्यम से कार्य करेगी।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि पाली में जो सैनिक स्कूल खोलना था उसकी जब क्लीयरेंस भी हो गई थी फिर भी वह स्कूल वहाँ पर क्यों नहीं खोला जा रहा है ?

चौधरी औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य महोदय की जानकारी के लिए यह बताना चाहूँगा कि अभी तक स्कूल खोलने के लिए कोई सैकड़ नहीं आई है। केन्द्र सरकार की प्रपोजल पर हरियाणा सरकार ने अपनी तयवीज भेजी है उसको मंजूर करना या न करना रक्षा मंत्रालय का काम है।

श्री कैलाश चन्द भार्गव: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने जो सैनिक स्कूल खोलने की तयवीज भेजी है, उसके अलावा क्या नारनौल या महेन्द्रगढ़ में भी ऐसा स्कूल खोलने के बारे में केन्द्र सरकार को प्रपोजल भिजवाने की कृपा करेगा?

चौधरी औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार के सामने किसी विशेष जिले का सवाल नहीं है। सरकार

के लिए 16 के 16 जिले बराबर है और जिस जिले के लिए कोई बात उपयुक्त सोची जाएगी, उस पर ही निर्णय लिया जाएगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सैनिक स्कूल खोले जाने के लिए क्या माप दण्ड है ? यदि ये माप दण्ड पूरे हो तो क्या वहा पर सैनिक स्कूल खोला जाएगा ?

श्री अध्यक्ष: इस सवाल का जवाब तो उन्होंने पहले ही दे दिया है।

श्री कैला । चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूछना चाहूंगा कि जिस जिले के भूतपूर्व सैनिकों की संख्या ज्यादा हो, क्या उस जिले में सैनिक स्कूल खोले जाने में कोई प्रायोरिटी दी जाएगी ?

चौधरी औम प्रका । चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सैनिक स्कूल बनाने के लिए पुराने सैनिकों की बात को ध्यान में नहीं रखा जाता । मेरे विचार से नये सैनिक जहां से ज्यादा भर्ती हो वहां सैनिक स्कूलों खोलने के बारे में विचार किया जा सकता है।

Constitution of a Committee for the Implementation of Reservation Policy

***1098. Shri Parma Nand:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to constitute a Committee to ensure the implementation of reservation policy for the persons belonging to Scheduled Castes, Back ward Classes, ExServicemen and Handiscapped persons in the State and

(b) if so, the time bey which teh aforesaid Committee is likely to be constituted?

मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रका ा चौटाला:

(क) जी नहीं ।

(ख) प्र न पैदा नहीं होता ।

श्री परमानन्द: अध्यक्ष महोदय, आदरणीय चौधरी देवी लाल जी ने 1987 मे चुनाव से पहले पिछले वर्गों के लिए 9 वायदे किय थे । वायदा नम्बर 37 पर एक कमेटी गठित करने का वायदा किया गया था । मै आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे अपने पिता जी द्वारा किए गए वायदे को वापिस लेना चाहते है ?

मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से प्रोफैसर साहब को बताना चाहूंगा कि जिस वक्त यह निर्णय लिया गया था, प्रोफैसर साहब उनकी वजारत मे वजीर थे, इसलिए उनकी भी बराबर की जिम्मेदारी बनती थी । इस प्र ान का जवाब तो वे स्वय ही दे सकते है ।

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या हरियाणा सरकार के प्रत्येक विभाग से रोस्टर प्रणाली लागू है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही करने का प्रावधान है ?

मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर विचार करने के लिए हाउस की कमेटी बनी हुई है।

श्री परमानन्द: अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फरमाया कि जिस वक्त यह निर्णय लिखा गया, उस वक्त मैं भी वजारत में शामिल था। अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर कभी कोई निर्णय लिया ही नहीं गया यह जो केवल वायदा था। इस वायदे के मुताबिक जो निर्णय लेना था उसके बारे में मैंने दिनांक 4.7.1989 को तथा दिनांक 5.9.1989 को दो डी०ओ० लैटर लिखे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या ये डी०ओ० लैटर्स उनके नोटिस में हैं तथा इस कमेटी को बनाने के लिए क्या कोई कार्यवाही हुई है?

चौधरी ओमप्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसे कोई पत्र होंगे तो उनके मुताबिक सदस्य महोदय को जवाब दे दिया जायेगा।

श्री दुर्गा दस्त अत्री: अध्यक्ष महोदय, जो पद अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के लिए और दूसरे लोगों के लिए आरक्षित हैं

उनको सुनिश्चित करने के लिए क्या कोई तरीका सरकार के पास है ? क्या पदों में मुताबिक ठीक से भर्ती कर ली गई है?

चौधरी ओमप्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इस मामले में बाकयाद सविधान में प्रोविजन है और एक कायदा तय है, उसके मुताबिक ही सिलैबान और अप्वायमेंट होती है।

श्री किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि आरक्षण की देख रेख के लिए इस हाउस की एक कमेटी बनी हुई है। क्या मुख्यमंत्री जी महोदय बतायेंगे कि यह कमेटी जो भी रिक्तमैन्डेन करेगी, वे सारी इम्प्लीमेंट की जायेगी ?

चौधरी ओमप्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इस बात पर विचार किया जा सकता है।

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या क्या प्रदेस सरकार ने आरक्षण के बैकलीग को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष कोई अभियान चलाया था यदि चलाया था तो उस अभियान के अन्तर्गत कितने आरक्षित पदों को भरा गया है ?

Mr. Speaker: This question is not relevant.

श्री परमानन्द: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि इसी हाउस के फ्लोर पर

आदरीणय होम मिनलर ने बताया था कल 1150 सलपाही भर्ती कलये गये थे लेकलन उसमें रलजर्वे नन पूरी नही थी। इस प्रकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया था कल हरलयाणा ऐग्रीकलचर मारकीटलंग बोर्ड ने 260 आदमी भर्ती कलये थे लेकलन इस मे भी रलजर्वे नन पूरी नही हुई थी। इसी प्रकार श्री बनारसी दास गुप्ता जी ने सन 1988 के बजट से नन मे बताया था कल फरीदाबाद कम्पलैक्स मे भाडयूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासलंज मे बताया था कल सीटे पूरी नही हुई है। बलजली बोर्ड की रलपोर्ट भी यही है कल वहा पर भी सीटे पूरी नही हुई। मेरे कहने का मतलब यह है कल सरकार की जो नीति है उसके मुताबलक अमल नही होता। इसलिए मै मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हू कल उस नीति को सुनलल चत बनाने के ललए क्या सरकार कोई फैसला करने या कोई और उपाय करने जा रही है ?

चौधरी ओमप्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सदस्य महोदय को एक बताना चाहूंगा कल इस प्रकार की कोई बात मंत्री महोदय की तरफ से नही कही गई। यह तो एक कललयर फैसला है कल रलजर्वे नन सवलधान के मुताबलक है और उसके मुताबलक ही सारी की सारी सीटे भरी जाती है। कलसी वलेश मामले को ले कर हो सकता है कल उस क्लास के कैंडीडेटस पूरी दरखास्ते न दे पाये हो और उपयुक्त कैंडीडेटस न मलल पाये हो। ऐसी परलस्थलति हो गई हो तो और बात है।

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, जहा कही भी भर्ती होती है, वहा भाडयूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज के कौडीडेटस भी उपलब्ध होते है लेकिन इसके बाद भी रिप्रेजैन्टे इन पूरी नही दी जाती। इसलिए मै मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि उस बारे मे ये कार्यवाही करेगे ?

चौधरी ओमप्रका । चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ऐसा कही नही होता। एकाध दफा यदि कही कौडीडेटस की कमी आ जाती है तो उसके लिए दुबारा प्रार्थना पत्र मांगे जाते है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, पिछले साल हमारे ऐक्स सर्विसमैन का बैकलोग था। क्या मुख्यमंत्री महोदय इस साल उस बैकलोग को इस पालिसी के तहत पूरा करेगे ?

चौधरी ओमप्रका । चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह सविधान की बात है और सदस्य महोदय तो खुद फौज मे रहे है। इनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी सरकार रिजर्वे इन के मामले पूरी तरह है और उसके मुताबिक ही निर्णय लिए जाते है।

Opening of Training Centre at Mahendergarh under D.L.E.T Scheme

***1109 Shri Ram Bilash Sharma:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a training centre at Mahendergarh under the D.E.L.T Scheme; and

(b) if so, the time by which the centre is likely to be opened ?

शिक्षा तथा विकास मंत्री (श्री हुक्म सिंह):

(क) जी हा।

(ख) भारत सरकार से राशि उपलब्ध होने पर इसे चालू किया जाएगा।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, पिछले सदन में भी यह बात आयी थी कि केन्द्रीय सरकार से इस उद्योग के लिए राशि उपलब्ध होनी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि राशि उपलब्ध होने का जो प्रोसैस है, यह किस स्टेज पर है और यह राशि कब तक उपलब्ध होने का अनुमान है?

श्री हुक्म सिंह: स्पीकर सर, डी०आई०ई०टी० स्कीम का सारा ही पैसा भारत सरकार देती है। 29 लाख रूपया, जो बिल्डिंग की कस्ट्रक्शन के लिए टोटल खर्च का 50 प्रतिशत है, वह उन्होंने अभी स्वीकार किया है। वह हमने 18.12.1989 को पी०डब्ल्यू०डी० के पास जमा करवा दिया है।

श्री कैलाश चन्द भार्मा: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे सैटर प्रदेस में और कहीं

पर भी खोले गये हैं और महेन्द्रगढ मे यह जो सैटर खोला जा रहा है इसमे स्टुडेंटस की कितनी सख्या होगी ?

श्री हुक्त सिंह: स्पीकर साहब, दो सैटर सोनीपत और गुडगावं मे चल रहे हैं और 6 की भारत सरकार ने हमे और स्वीकृत दे दी है ।

श्री कैला । चन्द भार्मा: स्पीकर साहब, मै यह जानना चाहता हूं कि ये 6 सैन्टर्ज कहा कहा पर खोले जा रहे हैं? इसके अलावा एक बात मैने इनसे यह पूछी थी कि महेन्द्रगढ मे जो ट्रेनिंग सैटर खोलते जा रहे हैं उसमे कितनी विधार्थी एक साथ पढ सकेगे ? यह पूछने का मेरा मतलब यह है कि वर्षा मे कितने बच्चे वहा पर प्रि ।क्षण प्राप्त कर सकेगे ?

श्री हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, अम्बाला, महेन्द्रगढ, रोहतक, भिवानी, जींद और सिरसा मे ये 6 सैन्टर्ज खोले जा रहे हैं और इनमे सेग प्रत्येक मे 75 विधार्थियों को दाखिल किया जा रहा है ।

श्री सीता राम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि गुडगाव मे डाईट स्कीम के तहत जो ट्रेनिंग सैटर खोला है, उसका भवन कब तक तैयार हो जायेगा? क्या उसके लिए भी राि । पी0डब्लू0डी0 को दे दी गयी है ?

श्री हुक्म सिंह: जी हां, हमने उसकी राि । पी0डब्लू0डी0 को दे दी ।

सेठ लछमन दास बजाज: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा सैटर खोलने के लिए करनाल का भी नम्बर आयेगा ?

श्री हुक्म सिंह: स्पीकर सर, हमने करनाल के बारे में भी भारत सरकार को लिखा हुआ है।

श्री परमा नन्द: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जींद में जो डाईट इस्टीच्यू इन खोलना है, क्या उसके लिए फडज पी0डब्लू0डी0 को दे दिये गये हैं ?

श्री हुक्म सिंह: जी हाँ। उसके लिए भी हमने 29 लाख रूपया 31.3.1989 को पी0डब्लू0डी0 के पास जमा करवा दिया है।

श्री दुर्गा दत्त अंत्री: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार से आज तक इस बारे में हमें कितनी अमाउन्ट मिली है और अब तक कितनी अमाउन्ट यूटिलाईज हो चुकी है ?

श्री हुक्म सिंह: स्पीकर साहब 8 जिलों के लिए जो पैसा हमें मिलार है वह इस प्रकार है गुडगाव 28 लाख, सोनीपत 28 लाख, रोहतक 31.20 लाख, जींद 29 लाख, सिरसा 29 लाख, अम्बाला 31.20 लाख, भिवानी 29 लाख और महेन्द्रगढ़ 29 लाख। हमने यह पैसा पी0डब्लू0डी0 के पास जमा करवा दिया है।

श्रीमती कमला वर्मा: स्पीकर साहब, हरियाणा स्टेट मे चार ऐसे जिले है जो अभी अभी बने है। क्या उन चार जिलो मे से यमुना नगर मे भी कोई ऐसा सैटर खोलने के लिए प्रपोजल भेजेगे ?

श्री हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, चार नये जिले हमारे बने है। हरियाणा सरकार को इसके खोलने के लिये 10 एकड भूमि देनी पडती है। हमने इनके जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखा हुआ है कि वह भूमि का पता लगाकार और केस बनाकर भेजे। हम केस भारत सरकार को भेजेगे कि वह चार जिले भी इस स्कीम मे कवर किये जाये।

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, अभी अभी मंत्री जी ने यह कहा है कि इन चार नये जिलो मे भी सैटर खोलने के लिए केस भारत सरकार को चला जायेगा। मेरा रादौर क्षेत्र नया नया यमुनानगर मे भामिल हुआ है। क्या यह सैटर रादौर मे खोलने पर विचार करेगे ?

Mr. Speaker: How can it be said now? Please take your seat.

High Rates for selling eatable items at Bus Stands

***1114. Shri Atma Singh Gill:** Will the Minister of State for Transport be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of the fact that the constructors of shops Bus stands on Chandigarh Delchi Highway charge exorbitant rates of eatable items from the passengers as compared to market rates; and

(b) if so, the action taken of proposed to be taken in this respect ?

गृह मंत्री प्रो० सम्पत सिंह:

(क) बस स्टैण्ड भाहबाद की दुकानों के ठेकेदारों के विरुद्ध कुछ शिक्कायते प्राप्त हुई है।

(ख) चण्डीगढ़ दिल्ली राय मार्ग पर भाहबाद बस अड्डों की दुकानों को हरियाणा पर्यटन निगम को सौंपने के सन्दर्भ में मामला सरकार के विचारधीन है।

Incident of Beating Journalists

***1120. Shri Mangal Sein:** Will the Minister for Home & be pleased to state whether any incident of beating the Journalistsy Press Photographes andof snatching their Cames came to the notice of Government during the by election of Meham Assembly constituency; if so, the details thereof togetherwith the action taken in the matter?

गृह मंत्री प्रो० सम्पत सिंह: मेहम विधान सभा चुनाव क्षेत्र में हुए उप चुनाव के दौरान ऐसी किसी प्रकार की घटना की रिपोर्ट सरकार को नहीं की गई।

डा० मंगल सैन: क्या गृह मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अखबार वालों के और प्रेस फोटोग्राफर्स के कैमरे छीनने आदि की वारदात के बारे में कोई खबर अखबारों में छपी है या उन्होंने कोई खबर पढी है ? अगर उन्होंने ऐसी कोई खबर पढी है तो इस बारे में क्या ऐक्टान लिया गया है ?

गृह मंत्री प्र० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, अखबारों में जरूर ऐसी बातें आई हैं लेकिन सरकार को किसी किस्म की कोई रिटन कम्पलेट किसी लेवल पर नहीं मिली है।

डा० मंगल सैन: गृह क्या गृह मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर ऐसी कोई खबर अखबारों में छपी है और महकमे के नोटिस में आई है तो क्या सुओ मोटो उसको जुडीं गायल इक्वायरी के पास रैफरैन्स के लिए भेज देंगे ?

प्र० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में प्रान ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री राम बिलास भार्मा: क्या गृह मंत्री महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा भवन दिल्ली में पत्रकारों का एक दल मुख्यमंत्री जी से मिला था और उन्होंने इस बारे में कोई रिक्वायत की थी अगर की थी तो इसकी इक्वायरी करवाएंगे ?

प्र० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, पत्रकारों का एक दल जरूर मिला था और मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त उनसे कहा था कि आप लिखित रूप से रिक्वायत दें, हम रिक्वायत पर ऐक्टान

लेगे, बाकयदा इक्वायरी करवाएगे और जो नुकसान हुआ है उसको कम्पन्सेट करेगे। मै सदन को बताना चाहूंगा कि अभी तक उनसे उस बारे मे लिखित रूप मे कोई कम्पलेट नही आई है।

श्री हीरा नन्द आर्य: क्या गृह मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि अखबार मे छपी किसी बात का सरकार नोटिस लेती है ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, सरकार जरूर नोटिस लेती है लेकिन सब बातों का नोटिस नही लेती। अध्यक्ष महोदय, उन लोगों को आवासन दिया था कि आप रिटन मे कम्पलेट दे, बाकयाद इक्वायरी करवाएगे, दोशी लोगों को सजा दी जाएगी तथा जो नुकसान हुआ है, उसका कम्पनसेटान देगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अनफारचुनेटली रिटन मे हमारे पास कोई चीज नही आई है।

डा० मगल सैन: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि पत्रकारों का जो रिश्टमण्डल मुख्य मंत्री जी से मिला था, उनकी क्या रिशकायते थी ?

मुख्यमंत्री चौधरी औमप्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से डाक्टर साहब की जानकारी मे लाना चाहूंगा कि उस रिश्टमण्डल के मिलने से पहले ही मैने यह फैसला कर लिया था और ब्यान भी दे दिया था कि जिस किसी अखबार के कौरेसपौन्डैन्टस के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है उसकी

इक्वायरी कराई जाएगी और अगर किसी का कैमरा यह अखबारों से सम्बन्धित किसी सामान का नुकसान हुआ होगा तो सरकार उसको कम्पनसेट करेगी, लेकिन यह बात तभी सम्भव होगी अगर सरकार के सामने कोई रिटन विवाकयत आएगी। आज तक सरकार को कोई लिखित विवाकयत नहीं मिली है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, जब जुडीविायाल इक्वायरी का ऐलान किया गया था तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने प्रैस में यह भी ब्यान दिया था कि वायलैस के इंसीडैस के अलावा पत्रकारों के साथ जो ज्यादाती हुई अलैज की गई है, उसका रैफरेन्स भी हाई कोर्ट के जज को भेजगे। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि उन्होंने कोई ऐसा ब्यान दिया था ?

चौधरी औमप्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्य, जो इत्तफाक से ला ग्रेजुएट है, को यह बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार से 28 तारीख के सारें वाकयता की जुडीविायाल इक्वायरी के लिए हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज को नियुक्त किया है।

श्री हीरा नन्द आर्य: क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि अगर 28 तारीख के वाकयता के साथ किसी अखबार वाले के साथ कोई ज्यादाती हुई है तो क्या उसको भी इक्वायरी के लिए भेजने की कृपा करेगे ?

प्र० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, जुडी रिायल इक्वायरी मे जो वायलैस मे डैथ हुई है, उन्ही वाकयात को भाामिल किया गया है।

डा० मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माननीय सदस्य ला ग्रेजुएट है। क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि क्या उनको माननीय सदस्य के ला ग्रेजुएट होने मे कोई सं रिाय है ?

(इस प्र रिान का कोई उतर नही दिया गया)

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, पत्रकारो का एक रिाश्टमण्डल मुख्य मंत्री जी को हरियाणा भवन, दिल्ली मे मिला था। अध्यक्ष महोदय प्रैस थर्ड ऐस्टेट होता है और प्रजातन्त्र मे उसका बडा सम्मान है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि बडी सख्या मे जो पत्रकार मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उन्होने जो रिाकायते की थी, क्या उन पर वे गौर नही करेगे ?

प्र० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम बार बार रिीपीट कर चुके है कि अगर प्रैस वालो के साथ कोई ज्यादती हुई है तो वे हमे रििटन मे दे। जब रििटन मे हमारे पास रिाकायत आएगी तो हम बाकायदा कार्यवाही करेगे।

श्री सीता राम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, इडिया टुडे मे आया है कि प्रैस वाले मेहम हत्याकाड से सम्बन्धित कैसेट सारे हरियाणा मे जगह जगह दिखा रहे है कि किस प्रकार से उनको

चुनाव के दौरान, मेहम के अन्दर मारा गया है और उनके कैमरा को छीना गया है। क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेगे कि अगर यह सब कुछ गलत है तो क्या सरकार उन कैसेटस को हरियाणा के अन्दर दिखाने पर बैन लगाने पर विचार रखती है ?

Mr. Speaker: This is no supplementary

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र के अन्दर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का जितना महत्व है उतना ही प्रैस का भी है। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि सरकार द्वारा एक ऐसी समिति का गठन किया जाए जो प्रैस वालों के साथ बैठ कर आपसी तालमेल बनाये ताकि सरकार और प्रैस के दरमियान जो गलतफहमियां या भ्रम पैदा हो गये है उनको दूर किया जा सके ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, हमारी आपस में कोई गलतफहमी नहीं है। इस काम के लिए वाकायदा एक कमेटी बनी हुई है जो आपसी तालमेल बनाये रखती है। समय समय पर लोगो की, प्रैस वालों की सरकार से बातचीत होती रहती है लेकिन इस पर्टीकुलर बात के लिए किसी समिति का गठन करना उचित नहीं है। अगर हमारे पास उनकी तरफ से कोई रिटन कम्पलेन्ट आएगी तो हम अब य कार्यवाही करेगे।

डा० मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर प्रैस वालों को इनसे कोई नाराजगी है असन्तोश है जिस के कारण वे वीडियो कैसट

जगह जगह दिखा रहे हैं और सरकार के बारे में कह रहे हैं उस को काउटर करने के लिए सरकार को कोई न कोई प्रबन्ध अवश्य करना चाहिये ताकि प्रैस वालों में सरकार के खिलाफ असन्तोष की जो भावना है नारजगी है उसको दूर किया जा सके।

प्रॉ० सम्पतं सिंह: स्पीकर साहब, काउटर करने की कोई बात ही नहीं है। सरकार से किसी को कोई नारजगी नहीं है।

श्री हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेहन के अन्दर 28 तारीख को जो हत्याए हुई हैं, उस बारे में तो सरकार ने जुडीसियल इक्वायरी के आदेश दिए हैं लेकिन वायलैन्स से सम्बन्धित बातों को उस इक्वायरी में कोई जिकर नहीं किया गया है। आम जनता के साथ और अखबार वालों के साथ जो ज्यादातिया हुई हैं, क्या सरकार उनके बारे में भी जांच करवाने का विचार रखती है ?

प्रॉ० सम्पतं सिंह: अध्यक्ष महोदय, वायलैन्स के कारण जो डैथस हुई हैं उन्हीं केसिज के बारे में जुडीसियल इक्वायरी के आदेश दिए गये हैं।

श्री किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय, बार बार सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि उनके पास कोई लिखित एविडेंस नहीं आई है मैं आपके माध्यम से उन से यह जानना

चाहता हू कि क्या यह जरूरी है कि सरकार के पास लिखित कम्पलेन्ट आये, तभी सरकार कार्यवाही करेगी ?

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी है कि कोई विधायक सरकार के पास आये तभी उस पर इक्वायरी हो सकती है। जितने ये जनता के हामी है हम इनसे ज्यादा जनता के और प्रैस वालो के हामी है।

श्री दुर्गादत्त अत्री: अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार की ओर से यह कहा गया कि प्रैस का एक प्रतिनिधि मडल मुख्यमंत्री महोदय से मिला था। उस वक्त जो प्रैस वालो के साथ इनकी बातचीत हुई थी, क्या उस बातचीत के उनको पूर्ण रूप से तसल्ली ही गयी है ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, बाकायदा उनको पूरी तसल्ली हो गयी है।

श्री कैलाश चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, पिछले एक महीने से समाचार पत्र बराबर यह खबरे छाप रहे है कि प्रैस वालो को मेहम के अन्दर बुरी तरह से पीटा गया और उनके कैमरे बगैरह छीन लिये गये। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि क्या कार्यवाही करने के लिये इस तरह रकी ऐवीडैन्सिज उपयुक्त नहीं है ? क्या इस तरह के सबूतो के आधार पर सरकार कार्यवाही करने के लिए तैयार है ताकि प्रैस वालो को

या दूसरे लोगो को जिनके साथ ज्यादाती हुई है, कोई तसल्ली हो सके ? क्या उनका भ्रम दूर करने की सरकार को ि । । करेगी ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जब हम बार बार कर रहे है कि लिखित रूप मे दो तो प्रैस वाले सामन क्यो नही आ रहे है ? हम तो अपने माननीय सदस्यो को भी यह कहेंगे कि अगर प्रैस वालो के साथ कोई ज्यादाती हुई है तो वे हमे लिखित रूप मे दे, हम कार्यवाही करेगे ।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेहम मे जो कांड हुआ है उसके कारण से आम जनता मे और अखबारो वालो के मन मे एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी है । इसलिये मेरी आपके माध्यम से सरकार से एक प्रार्थना है कि अगर इन सभी बातो की छानबीन के लिए हाउस की एक कमेटी बना दी जाए तो लोगो का भ्रम दूर हो जाएगा और जो लाछन सरकार के ऊपर लगा हुआ है, वह भी हट जाएगा । क्या सरकार इन सभी बातो के लिए हाउस की एक कमेटी बनाने पर विचार करेगी ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, सरकार पर कोई लाछन वाली बात नही है न ही कोई किसी के मन मे भ्रम है । इसका जीता जागाता सबूत जीन्द की रैली है, जिसमे 10 लाख के करीब लोगो भाामिल हुए । जनता इस सरकार से खु । है । ये काग्रेसी भाई तो पिछड चुके है, जनता ने इनको मार गिराया है

जिसके कारण इनके मन में काफी दर्द है जिसको ये लोग अभी तक निकाल नहीं पाए।

10.00 बजे

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अगर इनके सामाने विडियो पे 1 कर दिए जाए तो लिखित रूप में दिया जाए तो कोई ऐव इन लेगे ?

प्रो० सम्पत सिंह: हमारे सामने कोई भी बात लिखित में आती है तो उस पर ऐव इन लेते हैं।

श्री परमा नन्द: अध्यक्ष महोदय, प्रैस का एक रिपॉर्टर इश्टमंडल मुख्यमंत्री जी से मिला था। उसने इनके सामने जुबानी रिपॉर्ट की थी। क्या इस प्रकार आमने सामने की रिपॉर्ट पर सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

चौधरी औमप्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को भाायद ज्यादातर सदस्य बार बार इसलिए कर रहे होंगे ताकि उनके नाम अखबार में आ जाए। मैंने पहले ही बहुत स्पष्ट कर दिया है और मैं फिर आपके माध्यम से इस बात को और स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो प्रतिनिधिमंडल मुझे मिला था, मैंने उनको बाकायदगी से यह कहा था कि अगर आपकी कोई रिपॉर्ट हो तो सरकार के पास लिख कर भेजे, हम इन्कवायरी

करवाएगे। उनकी तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है इसलिए बार बार ऐसी बात कहने की कोई तुक नहीं है।

तारकित प्रश्न संख्या 1127

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री भगवान सहाय रावत, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री भगवान सहाय रावत, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Part Payment of Electricity Bills

***1108 Shri Harman Singh:** Will the Minister for irrigation and Power be pleased to state-

(a) the number of tubewells disconnected upto March, 1990 on account of non payment of Electricity Bill in the State: and

(b) whether the Government will consider the request to restore the tubewells connections of those farmers who will make the part payment of their Electricity Bills ?

सिचाई तथा बिजली राज्य मंत्री श्री सचदेव त्यागी:

(क) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 31.1.1990 तक बिजली के बिलों की अदागयी न करने से कनैक्ट न काटे गए नलकूपों की संख्या 6251 है।

(ख) कनैकान कटने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर निवेदन प्राप्त होने पर आिाक अदायगी करने से निर्धारित कार्य प्रणाली के अनुसार ऐसे केसो मे कनैकान बहाल किए जा रहे है।

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, अब गेहू पक रहा है इसलिए जिनके बिलो की रकम बकाया है क्या उनके कनैकान फसल कटने तक काटने से रोक जाएगे ?

श्री सचदेव त्यागी: ऐसा कुछ नहीं है। प्रैसकाइब्ड प्रोसीजर के हिसाब से री कनैकान किए जाते है।

श्री अध्यक्ष: सवाल यह है कि अब गेहू पक रही है और जो डिफाल्टर है उनके कनैकान गेहू कटने तक न काटे जाए।

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, जो डिफाल्टर है जिनकी तरफ से बकाया है उसके लिए एक तरीकार है। पहले तो टैम्पोरेरी कनैकान काटा जाता है अगर सात दिन के अन्दर पेमेंट जमा न करवाई जाए तो कनैकान काट दिया जाता है। उसके बाद 50 रूपए जमा करवाने के बाद कनैकान दोबारा जोड दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: त्यागी साहब, सवाल यह है कि एक आदमी ने आपका पैसा देना है, उसका कनैकान अभी कटा नहीं है और न ही उसको कोई काटने का नोटिस दिया हुआ है तथा न ही काटने गया है। क्या गेहू कटने तक उनका कनैकान नहीं कटेगा ?

श्री सचदेव त्यागी: ऐसे केस मे वह पार्ट पेमैट कर दे ।

सेठ लक्ष्मन दास बजाज: स्पीकर साहब, करनाल भाहर मे जिन लोगो ने पांच वाट के कनैव इन मजूर करवाए हुए है उनको सात वाट के कनैव इन के हिसाब से लाखो रूपए के बिल के नोटिस जारी किए गए है । मै यह जानना चाहता हू कि क्या सरकार, जो दो वाट का फालतू बिल आया है उसको ठीक करने की कृपा करेगी ?

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, मेन सवाल चूकि टयूबवैल्ज के कनैव आज के बारे मे है इसलिए इस सप्लीमेंटरी का इससे कोई संबध नहीं है ।

श्री कैला । चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, जिला महेन्द्रगढ मे कुओ के पानी का लैबल चूकि बहुत नीचे चला गया है इसलिए उनका उपायोग भी बंद कर दिया गया है । मै आपके माध्यम मे मंत्री जी से जानता चाहता हू कि अगर वहां का किसान अपने किसी दूसरे खेत मे रिंग मीन की सहायता से कुआ खोद लेता है तो क्या उसको वही कनैव इन उस जगह पर दे दिया जाएगा यानी उसका पहले वाला टयूबवैल्ज का कनैव इन दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा ?

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, उसके लिए नया कनैव इन लेना पडेगा ।

श्री हरमना सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि बिजली बोर्ड किसानों से टयूबवैलज के री कनेक्ट इन के वक्त कौस्ट आफ मैटीरियल मागता है क्या उसको खत्म किया जाएगा क्योंकि री कनेक्ट इन तो री कनेक्ट इन ही है कोई नया कनेक्ट इन नहीं है ?

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, यदि कोई किसान ड्यू डेट के 7 दिन तक बिजली का बिल जमा न करवा तो उसका कनेक्ट इन टैम्पोरेरी तौर पर काट दिया जाता है और अगर वह बिल के साथ 50 रूपए ऐक्सट्रा जमा करवा देता है तो उस कनेक्ट इन को दोबारा जोड दिया जाता है। अगर कोई किसान ड्यू डेट के 30 दिन तक बिल जमा नहीं करवाता है तो बिजली का कनेक्ट इन परमानेंटली काट दिया जाता है जिस किसान के टयूबवैल का कनेक्ट इन परमानेंटली डिस कनेक्ट किया जाता है उसको रीकनेक्ट करने का प्रोसीजर यह है कि तीन गुणा सिक्योरिटी, टोटल बिल का वन थर्ड भोयर और बाकी बिल को दो किस्तों में जमा करवाने का अडरटेकिंग दे तो उसको दोबारा कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई किसान 30 दिन के बाद और आगे तीन साल तक बिजली का बिल जमा नहीं करवाता है तो उसको दोबारा कनेक्ट इन देने का यह प्रोसीजर है कि उसको तीन गुणा सिक्योरिटी, कौस्ट आफ केबल, कौस्ट आफ इरैव इन और डिसमैटल चार्जिज लिए जाते हैं।

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपमें माध्यम से मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या किसानों से केबल का खर्चा लेना बंद करने के बारे में कोई विचार किया जाएगा ?

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री सरबूल सिंह: स्पीकर साहब, बिजली बोर्ड की तरफ से किसानों को चार चार पांच पांच महीने तक बिजली का बिल नहीं भेजा जाता। अब बिजली बोर्ड वालों को यह मालूम हो गया है कि किसान लोग फसे हुए हैं। इसलिए उनको बिल भेज दिए हैं, जिसके कारण किसान लोग बड़े परेशान हैं। यदि अगर वे बिल जमा नहीं करवाएंगी तो उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन किसानों को ऐसी कोई रियासत दी जाएगी जिनको चार चार पांच पांच महीने तक पहले तो बिल नहीं भेजे और अब बिल भेज दिए हैं। अब अगर वे जमा न करवा सकें तो उनके कनेक्शन न काटे जाए ?

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, यदि इस बारे में लिख कर रिक्वायट की जाएगी तो उस पर गौर कर लिया जाएगा।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो 6251 ट्यूबवैल्ज के कनेक्शन काटे गए हैं उनकी तरफ कितना पैसा बकाया है ?

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, उनकी तरफ 156 लाख रुपए बकाया है।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस साल अब तक कितने नए कनेक्ट्स दिए गए ?

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, इस साल जनवरी 1990 तक 1202816 डोमैस्टिक कनेक्ट्स आज, 11000079 कोमर्शियल कनेक्ट्स आज, 3803 इंडस्ट्रियल कनेक्ट्स आज और 14384 ट्यूबवैल कनेक्ट्स आज दिए जा चुके हैं।

श्री कैलाश चन्द भार्मा: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जो 14384 कनेक्ट्स आज ट्यूबवैलज को दिए गए बताए हैं इसमें से महेन्द्रगढ़ जिले में कितने ट्यूबवैलज को कनेक्ट्स आज दिए गए कितने किसानों की ऐप्लीकेट्स आज कनेक्ट्स आज के लिए पेडिंग हैं ?

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, इस समय डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्फॉर्मेशन मेरे पास उपलब्ध नहीं है। अगर माननीय सदस्य इस बारे में सैपरेट नोटिस देगे तो बता दिया जाएगा।

Construction of Over Bridge on Delhi Rewari Railway Line

***1122. Capt Ajay Singh Yadav:** Will the Minister for P.W.D (B&R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct an over beidge on Delhi Rawari Railway line at the following roads:

(i) Rewari Jhajjar

(ii Rweari Narnaul ;

(b) if so, the time by which the above said bridges are likely to be constructed;

(c) whether there is alos any proposal under consideration on of the Government to consturct by pass connecting Narnaul Rohtak Raod with the Delhi Raod: and

(d) if the reply to part (c) in the affirmative the time by which the said by pass is likely to be constructed?

लोक निर्माण मंत्री श्री औम प्रकाश भारद्वाज:

(क) जी हां

जी नहीं।

(ख) वित्तीय स्थिति जटिल होने के कारण रिवाड़ी झज्जर सडक पर ऊपरि पुल के लिये कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्र न उत्पन्न नहीं होता।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि रिवाड़ी झंजर और रिवाड़ी नारनौल रेलवे लाईन पर ऊपरी पुल बनावे जाने की कब सेवकान हुई थी और इस पर कितनी लागत आनी थी ? मैं इनकी जानकारी के लिए यह भी बता देना चाहता हूँ कि वहा पर ट्रैफिक हैवी होने के कारण दुर्घटनाएँ भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। मैं जानना चाहूंगा कि हैवी ट्रैफिक ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय कोई आवासन देगे कि इतने समय इन पुलों को बना दिया जायेगा?

श्री औमप्रकाश भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, इसकी स्टेट की तरफ से ऐप्रुवल अगस्त 1986 में हुई थी और इस पर कुल लागत 2 करोड 3 लाख 96 हजार रूपये आएगी।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरे पूरे सवालों का जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया है। मैं इनसे पुन जानना चाहूंगा कि इन पुलों के बनावे जाने में देरी क्यों हो रही है। दूसरे इन्होंने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि रिवाड़ी के अन्दर बाई पास नहीं बनाया जायेगा। मैं इन्हें पुन बताना चाहूंगा कि रिवाड़ी नया जिला बन गया है और वहा पर ट्रैफिक भी बहुत अधिक बढ़ गई है जिस कारण आये दिन दुर्घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि हैवी ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए वहां पर यह रोड बनाया जाना क्यों पौसीबल नहीं है ?

श्री औमप्रका । भारद्वाज: स्पीकर साहब, इन्होंने कई सवाल इक्ठठे ही कर दिए हैं। कभी तो ये बाई पास की बात करते हैं तो कभी ऊपरि पुल की बात करते हैं।

मुख्यमंत्री चौधरी औमप्रका । चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य साथी को बताना चाहूंगा कि कोई नया जिले बना जाने से ही एकदम हैवी ट्रेफिक या दुर्घटनाएँ नहीं बढ़ जाती। नए जिले इसलिए बनाये जाते हैं ताकि लोगों को सुविधा अधिक से अधिक मिल सके। जो बात मैं अब बताना चाहता हूँ कि वह हालांकि इस सवाल से संबंध तो नहीं रखती, फिर भी मैं सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार को नेशनल हाईवे नं० 8 व 10 को मिलाने के लिए लिखा है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पुनः जानना चाहता हूँ कि जब यह स्पीकृति 1986 में मिल गई थी इसको बनाये जाने में अब देरी क्यों है?

श्री औमप्रका । भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक ऊपरि पुल बनाये जाने का सवाल है, इस बारे में मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि ऐसे पुलों के लिए 50 परसेन्ट पैसा हरियाणा सरकार की तरफ से और 50 परसेन्ट पैसा रेलवे की तरफ से दिया जाता होता है। इन पुलों के बनाये जाने के लिए हमने रेलवे वाले के

साथ अब तक 18 लैटर्ज का आदान प्रदान किया है। जब रेलवे वाले अपना पैसा सैक इन कर देगे तो काम भुरू कर देगे। हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है और न ही कोई कमी है।

श्री कैला । चन्द: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय की जानकारी मे कि रिवाडी नारनौल रोड राजस्थान तक जाता है और यह खेतडीबास और सोकर तक भी जाता है। क्या ये इस बात को ध्यान मे रखते हुए इस पुल बनाये जाने की आव यकता महसूस नहीं करते ?

श्री औमप्रका । भारद्वाज: स्पीकर साहब, इनका सवाल इस सवाल के तो संबधित है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: भार्मा जी, आप दुबारा सवाल पूछे।

श्री कैला । चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, इन्होने अपने जवाब मे कहा है कि रिवाडी नारनौल रेलवे लाईन पर ऊपरि पुल बनाना विचाराधीन नहीं है। क्या इनकी जानकारी मे यह बात है कि रिवाडी नारनौल रोड राजस्थान तक जाता है और इस मार्ग पर खेतडीबास और सीकर का इलाका भी पडता है जिस कारण इस रोड पर हैवी ट्रफिक है ? क्या इन हैवी ट्रफिक को ध्यान मे रखते हुए इस पुल को बनाये जाने के लिए सरकार दुबारा विचार करेगी ?

श्री औमप्रका । भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, मैने पहले ही जवाब दिया है कि फिलहाल कोई प्रपोजल नहीं है।

श्री सीताराम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, ने अपने जवाब बताया है कि जब से इसकी स्वीकृति मिली है तब से लेकर अब तक इस संबंध में 18 लैटर्ज रेलवे विभाग को लिखे गए हैं। इन द्वारा 18 पत्र लिखे जाने के बाद भी मामला ज्यों का त्यों है। क्या इतने लैटर्ज के बाद हमारी अधिकारियों की और रेलवे अधिकारियों की आपस में मीटिंग कराने की कोई स्कीम सरकार के पास है ?

श्री औमप्रकाश भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, इस काम को कराने के लिए हमारा बराबर प्रयत्न जारी है और यह प्रयत्न बराबर जारी रहेगा।

सेठ लक्षमन दास बजाज: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि करनाल में रेलवे लाईन पर ओवर ब्रिज बनाने का काम 4 साल पहले शुरू हुआ था लेकिन वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: बजाज साहब, यह सवाल करनाल वाले पुल से ताल्लुक नहीं रखता।

सेठ लक्षमन दास बजाज: अध्यक्ष महोदय, यह सवाल हरियाणा से संबंधित है और करनाल भी हरियाणा में ही है। मैं इनकी जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूँ कि यह पुल पूरा न होने की वजह से वहाँ पर दो दो घंटे ट्रैफिक जाम रहता है।

श्री अध्यक्ष: बजाज साहब, जो बात आप कर रहे हैं वह तो ठीक है लेकिन आप जो सप्लीमैअरी पूछ रहे हैं वह इस में सवाल से ताल्लुक नहीं रखती। I think it is not possible to reply this question off hand Plaease take your seat.

श्री औमप्रका 1 भारद्वाज: स्पीकर साहब, आप की इजाजत से मैं बजाज साहब को उनकी जानकारी के लिए बता ही देता हू कि सब जज की कोर्ट से इस पर स्टे हो गया है और 21.3.1990 को इस तारीख लगी हुई है।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कितने आर०ओ०बीज० बनाए जाते हैं इस वर्ष कितने बनने की सम्भावना है और कितने समय अण्डर कन्स्ट्रूक इन हैं ?

श्री औमप्रका 1 भारद्वाज:- स्पीकर साहब, 4 आर०सी० बीज० सैव तड है। मैं इनके नाम बता देता हू:-

- (i) R.O.B at Sonapat.
- (ii) R.O.B at Panipat on Assandh Raod
- (iii) R.O.B at Panipat on Gohana Raod; and
- (iv) R.O.B at Rewari Rohtak Raod.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि हरियाणा में कितने रेलवे ओवर ब्रिज बनाये जाने हैं, इन के

निर्माण के लिए बजट में कितना पैसा रखा गया है और क्या फरीदाबाद में भी कोई रेजवे ब्रिज बनाया जाता प्रस्तावित है ?

श्री औमप्रकाश भारद्वाजः— स्पीकर साहब, आर०ओ०बीज० के लिए स्पैल प्रोविजन तो नहीं होता लेकिन सारे ब्रिजों के लिए होता है। वर्ष 1990-91 के लिए 4 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रोविजन रखा गया है। वर्ष 1989-90 में 3 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रोविजन पुलों के लिए था जिसमें आर०ओ०बीज० भी शामिल थे।

श्री चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। मैंने इतने जानना चाहा था कि कितने ब्रिजों बनने प्रस्तावित हैं ? इसके अलावा फरीदाबाद के बारे में गुप्ता जी ने फरमाया था उसके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं कहा?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, बडखल लेक को जो सड़क जाती है उस पर ओवर ब्रिज बनाने की तयवीज है जिसके लिए आधा पैसा हुड्डा दे रहा है और आधा पैसा रेलवे देगा। पुल सैकड़ों हो चुका है और हमने भोयर जमा भी करा दिया है।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः अध्यक्ष महोदय स्टेट हाईवे न० 2 जो चण्डीगढ़ से सिरसा और चौटाला तक जाता है वह हरियाणा के 6 जिलों को आपस में जोड़ता है। मैं पी०डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस सड़क पर कैथल में

रेलवे औवर ब्रिज बनाने की कोई प्रपोजल सरकार के विचारधीन है ?

श्री औमप्रका । भारद्वाजः— स्पीकर साहब, अभी कोई प्रपोजल नहीं है ।

श्री सरबूल सिंहः स्पीकर साहब, मेरे भाहर सफीदो मे नये बस अडडे का उदघाटन हो चुका है । रास्ते खराब होने के कारण बस अडडे पर पहुचने के लिए बसे बहुत तंगी पा रही है और लोगो को काफी दिक्कत है । इस अडडे का नक्शा भी बन गया है । मै माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह बस अडडा कब तक बन जाएगा या वह भी ऊत खाते मे ही जायेगा ? (हंसी)

श्री अध्यक्षः सरदार सरदूल सिंह जो, रास्ता तो आप खुद भी बनवा सकते हो ।

श्री बलबीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा आदरणीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या कैथल मे औवर ब्रिज बनाने के लिए सरकार विचार करेगी?

श्री औमप्रका । भारद्वाजः— स्पीकर साहब, विचार कर लिया जायेगा ।

सेठ लक्ष्मन दास बजाजः स्पीकर साहब, करनाल के पुल टूटे हुए छ महीने हो गए है और उस पर काम अभी भुरू ही हुआ

है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह पुल कब तक बन जाएगा ?

चौधरी औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री बजाज जी की तसल्ली के लिए उनको बताना चाहूंगा कि जिस पुल का ये जिक्र कर रहे हैं वह पुल सिचाई विभाग का है और वह पुल बहुत तेजी से बन रहा है।

Women College at Mohindergarh

***1110 Shri Ram Billas Sharma:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a separate wing for women in Government College, Mohindergarh

(b) whether any amount has been deposited by the people with the Government for the construction of the aforesaid wing:

(c) if so, the total amount thereof togetherwith the period since when the said amount has been deposited; and

(d) if the reply to part (a) above be in the affirmative the time by which the aforesaid wing is likely to be constructed?

शिक्षा तथा विकास मंत्री श्री हुक्म सिंह:

(क) राजकीय महाविधालय, महेन्द्रगढ मे महिला बिग खोलने का मामला विचारधीन है। भवन निर्माण का प्र न विंग खोलने के निर्णय के उपरान्त ही उत्पन्न होगा।

(ख एवम ग) जी, हां 2.00 लाख रूपये की राशि 1 मास अप्रैल 1988 मे गर्ल्ज कालेज सोसाइटी, महेन्द्रगढ द्वारा उपायुक्त, महेन्द्रगढ के पास जमा करवाई गई थी।

(घ) उपरोक्त भाग (ह) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए भवन निर्माण के पूर्ण होने की तिथि का प्र न उत्पन्न नहीं होता।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब मे बतलाया है कि नगर के लोगो ने दो लाख रूपये दो वर्ष पहले अप्रैल, 1988 मे डी0सी0 महेन्द्रगढ के पास जमा करवाये थे। स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय तीन गुना मैचिंग ग्रांट का सिस्टम भी था। मैं जानना चाहता हू कि वह पैसा अब किस स्टेज पर है ? इसके अलावा क्या विभाग से इसमे कोई लापरवाही हुई है, अगर हुई है तो उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की तयवीज है ?

श्री हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि गर्ल्ज कालेज सोसाइटी ने दो लाख रूपये डी0सी0 महेन्द्रगढ के पास जमा करवाये थे। श्री राम बिलास जी ने मैचिंग ग्रांट सी0एम0

रिलीफ फण्ड से दिलवाई थी। मैं इन्हे बताना चाहूंगा कि उस वक्त चुकि गलर्ज कालेज खोलने का विचार नहीं था इसलिए वह सारा पैसा डी०सी० महेन्द्रगढ के पास जमा है।

सेठ लक्ष्मन दास बजाज: अध्यक्ष महोदय, करनाल में पी०डब्ल्यू०डी० विभाग ने गवर्नमेंट गलर्ज हाई स्कूल, गवर्नमेंट ब्यावज हाई स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल प्रेम नगर की बिल्डिंगों को नाकार कराने दे दिया है। क्या सरकार इन बिल्डिंगों को बनाये जाने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष: बजाज साहब, महेन्द्रगढ और करनाल में चूकि बहुत फर्क है इस लिए इस समय मंत्री जी द्वारा इसका जवाब ऑफ हैड दिया जाना संभव नहीं होगा।

श्री राम बिलास भार्मा: क्या शिक्षा मंत्री महोदय इस काम को करवाने में कोई तत्परता दिखाएंगे ताकि यह बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बन सके ?

श्री हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, सन् 1988 में मांग आई थी कि यहां पर गलर्ज कालेज बनाया जाये और अब मांग आई है कि यहां पर गलर्ज विंग अलग से बना दिया जाये। यह मामला सरकार के विचारधीन है और हम अलग से गलर्ज विंग वहां बना देंगे और उस पैसे से बिल्डिंग वहां बन जायेगी।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, कोसली में राजकीय कन्या महाविधालय खुलना था। इस कालेज के लिए कुछ

पैसा भी जमा हुआ था। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वह कालेज कब तक खोला दिया जायेगा ?

श्री हुक्म सिंह: इसके लिए ये अलग से नोटिस दे, जवाब दे दिया जाएगा।

श्री बंलबीर सिंह चौधरी: मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पिछले दिनों रतिया के लोगो ने

Mr. Speaker: it is not possible to reply about Ratia as it does not relate to this question. Please take your seat.

Counters at Bus-Stands

***1115 Shri Atma Singh Gill:** Will the Minister of State be for Transport be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open counters by The Haryana Tourism Corporation at Bus Stands on Chandigarh Delhi highway to cater the needs of the bus passengers in the State: and

(b) if so, the time by which the aforesaid counters are likely to be opened ?

गृह मंत्री प्रो० सम्पत सिंह:

(क) जी हां।

(ख) बस स्टैण्ड पिपली तथा पानीपत की सभी दुकाने पहले ही हरियाणा पर्यटन निगम को बस यात्रियों की सुविधा के लिए सौंपी जा चुकी है । चण्डीगढ़ दिल्ली राज मार्ग के भोश बस अड्डो को भी विभिन्न चरणो मे हरियाणा पर्यटन निगम को सौंप दिया जाएगा ।

श्री हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को इस बात का पता है कि हरियाणा रोडवेज की बसो के अलावा बाकी बसे रास्ते मे जगह जगह रूकती है और ढाबो पर बस यात्रियों की खाल उतारी जाती है ? क्या आप प्राइवेट ढाबो पर कन्ट्रोल करेगे ताकि यात्रियों को न लूटा जा सके ।

प्रो० सम्पत सिंह: हमने बाकायदा हिदायते दी हुई है कि ऐसे जगहो पर बसे न रोकी जहां पर बस स्टाप न हो, अगर बसे रूकती है तो इस वाकायदा कार्यवाही करेगे ।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, ट्रासपोर्ट विभाग, टूरिजम कार्पेरे ान की बसे अड्डो पर काउन्टर सौंप रहा है । मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि क्या हरियाणा टूरिजम के रेट हरियाणा की गरीब जनता के अनरूप है । क्या उनके लिए सस्ते भोजन का प्रबन्ध किया जाएगा?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, हरियाणा की जनता की भलाई को देखकर ही ऐसा किया गया है । अगर ट्रासपोर्ट

डिपार्टमेंट की सारी की सारी दुकाने टूरिजम वालो को दे दी जाती है तो सालाना डेढ पौने दो लाख दो करोड रूपये का नुकसान हो सकता है क्योकि दुकाने ओक इन होने से अच्छा पैसा आता है और टूरिजम वालो से हम सिर्फ 5000 रूपये ही लेते है। हमने जनता के लिये खाने पीने के लिये जो बन्दोबस्त किया है, मै उस बारे मे सारे हाउस की जानकारी के लिये यह बताना चाहता हू कि वहा पर पूरी और भाजी चार रूपये मे दी जाती है। जूस का एक गिलास दो रूपये, दो पीस ब्रैड पकौडा दो रूपये मै और इसी तरह से दूसरी चीजे कन्सै इनल रेटस पर पब्लिक को दी जाती है। यह सब पब्लिक के हित की बात को ध्यान मे रखकर ही किया जा रहा है।

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि हम बस कन्डक्टरों/ड्राइवरों के खिलाफ कार्यवाही करेगे। मै उनसे यह पूछना चाहता हू कि अब तक किसी के खिलाफ आपने कार्यवाही की है। इसके अलावा जो प्राइवेट दुकाने रास्ते मे पडती है, उनमे चीजो की कीमत और क्वालिटी पर भी कोई कन्ट्रोल करेगे ?

प्रो० सम्पतं सिंह: स्पीकर साहब, प्राइवेट दुकानो की चीजो की कीमतो पर कन्ट्रोल करना मु कल है। जहां तक क्वालिटी की बात का ताल्लुक है, उसके लिये बाकायदा फूड एंड सप्लाइ डिपार्टमेंट वाले चैकिंग करते रहते है। जंहा तक रोडवेज कर्मचारियों के खिलाफ ऐक इन लेने की बात है हम उन बस

ड्राइवर और कन्डक्टर के खिलाफ कार्यवाही करते हैं जो हमारी इन्टरवॉज के बावजूद गलत जगह पर बस रोकते हैं।

श्री जय सिंह राणा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने पूरी और सब्जी के रेट्स और जूस के गिलास के रेट्स बता दिये। मैं इनसे यह जानना चाहता हूँ कि पूरियां कितनी मिलेगी और गिलास का साईज क्या होगा ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, हम चार पूरियां देते हैं और सब्जी साथ देते हैं। एक बार ये खाकर देखगे तो आन्नद आ जायेगा।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इनकी जानकारी में है.....

श्री अध्यक्ष: आप जानकारी की बात न कीजिए, सप्लीमेंटरी पुट कीजिए।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: स्पीकर साहब, रेलवे में एक रूपये में तीन पूरियां मिलती हैं और हमारे यहां चार रूपये में चार पूरियां मिले, यह कहा तक उचित है ?

प्रो० सम्पत सिंह: एक रूपये में तीन पूरियां नहीं मिलती। हम रेलवे से बढ़िया खाना देते हैं। बाकायदा सारी बात हमारी जानकारी में है।

श्री परमानन्द: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अभी यह कहा है कि फूड एड सप्लाई डिपार्टमेंट वाले उनकी चैकिंग करते हैं परन्तु यह काम तो हैल्थ डिपार्टमेंट वालों का है। क्या उन्होंने ढांडा साहब की हैल्थ को देखकर तो यह बात नहीं कह दी है।(व्यवधान व भाोर)

प्रो० सम्पत सिंह: ऐसी कोई बात नहीं है। जंहा तक प्योर फुडज का ताल्लुक है उसकी चैकिंग हैल्थ डिपार्टमेंट करता है लेकिन अनाज और आटे वगैरह की चैकिंग फूड एड सप्लाई डिपार्टमेंट करता है। (व्यवधान व भाोर)

खादय तथा पूर्ति राज्य मंत्री श्री नर सिंह ढाडा: आप परमानन्द की सेहत ही देख ले। इनकी सेहत में कोई कमी तो आयी ही नहीं है।(व्यवधान व भाोर)

ताराकित प्र न सख्या 1128

यह प्रान पूछा नहीं गया क्योकि माननीय सदस्य श्री भगवान सहाय रावत इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Mr. Speaker: Question list is over

अताराकित प्र न एवम उत्तर

New Buidings for Police Stations

192. Capt Ajay Singh Yadav: Will the Minister for Home be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new buildings for the following Police Stations in Rewari constituency:-

(i) Dharuhera,

(ii) Jatusana,

(iii) Rewari (Sadar): and

(b) if so, the terms by which the aforesaid buildings are likely to be constructed?

गृह मंत्री प्रो० सम्पत सिंह:

(क) (i) , (ii) हां, परन्तु इस समय उचित भूमि उपलब्ध नहीं है।

(iii) नहीं।

(ख) जब कभी उचित भूमि उपलब्ध होगी निर्माण कार्य फण्डज की उपलब्धि के प्रावधान उपरान्त शुरू किया जायेगा। इस तरह इस समय यह बताना कठिन है, कि इन पुलिस थानों के भवनों का किस तिथि तक निर्माण होगा।

Income accrued from auction of Liquor

195. Capt. Ajay Singh Yadav: Will the Minister for Agricultural be pleased to state the total income accrued from the auction of country made liquor and Indian made foreign liquor in the State during the year 1989-90?

मुख्य मंत्री चौधरी औमप्रका 1 चौटाला: 128,137 करोड
रूपये ।

Harijan Chaupals

196. Capt Ajay Singh Yadav: Will the Minister for Social Welfare to be pleased to state.

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following Harijan Chapuals in Rewari Costirueny:-

- (i) Jadra,
- (ii) Dakiya
- (iii) Khatwali,
- (iv) Rajipura
- (vi) Ghatal; and

(b) if so, the time by which the aforesaid chaupals anr likely to be constructed?

समाज कल्याण मंत्री श्री जगन नाथ:

(क) समाज कल्याण विभाग चौपालो के निर्माण का कार्य नहीं करता यह कार्य एक ग्राम स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। इस उदे य के लिए राि 1 विभिन्न विभागो द्वारा उपायुक्त के निपटान पर रखी जाती है जो स्वीकृति जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी है। जंहा तक समाज कल्याण विभाग का

सम्बन्ध है। ग्राम खतवाली के लिए 10,000 रुपये और ग्राम घाटल के लिये 20000 रुपये की राशि दी गई है।

(ख) उपरोक्त (क) के दृष्टिगत प्रान ही उत्पन्न नहीं होता।

Grain Market/Anaj Mandi at Dharuhera

197. Capt Ajay Sing Yadav: Will the Minister for Agriculture be pleased to state.

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Grain Market/Anaj Mandi at Dharuhera in District Rewari: and

(b) if so, the time by which the aforesaid market is likely to be opened?

मुख्यमंत्री चौधरी औम प्रकाश चौटाला:

(क) नहीं।

(ख) प्रान ही उत्पन्न नहीं होता।

Punjab and Urdu Students/Teachers in Primary Schools

201. Shri Harnam Singh: Will the Minister for Education be pleased to state the total number of students studying Punjab Urdu Language in the various schools in the State at present together with the number of Punjab/Urdu teachers posted in these schools?

शिक्षा तथा विकास मंत्री श्री हुक्म सिंह: राज्य के विभिन्न स्कूलों में पंजाबी/उर्दू भाषा पढ़ने वाले छात्रों तथा इन स्कूलों में नियुक्त अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार है—

1 विद्यार्थियों की संख्या

1.	पंजाबी	56944
2.	उर्दू	4673

1 पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या

1.	पंजाबी	404
2.	उर्दू	97

Construction of Buildings for Primary Schools

202. Shri Harnam Singh: Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether there are any Primary Schools in Thanesar, Pheowa and Shahabad constituencies, which are without buildings; if so, the number thereof separately; and

(b) whether any amount has been sanctioned for the construction of new buildings and for repair of schools, as referred to in part (a) above, during the year 1989-90 if so. details thereof ?

शिक्षा तथा विकास मंत्री श्री हुक्म सिंह:

(क) जी हां, विवरण निम्न प्रकार है:-

विधान सभा क्षेत्र	ऐसे राजकीय प्राथमि विधालयो की सख्या जिनके भवन नही है।
थानेसर	12
पेहवा	7
भाहबाद	19

(ख) जी हा, विवरण नीचे दिया गया है।

विधान सभा क्षेत्र	स्कूल का नाम	वर्ष 1988.89 मे भवनो के निर्माण मुरम्मत के लिए स्वीकृत राशि।
थानेसर	1. रा0प्रा0प0 लोहाडा	100000 रूपये
	2. रा0प्रा0प0 निवासरी	100000 रूपये
	3. रा0प्रा0प0 बडाचपुर	30000 रूपये
	4. रा0प्रा0प0 बहलोलपुर	30000 रूपये
	5. रा0प्रा0प0 सोढी	60000 रूपये

पेहवा	1. रा०क०प्रा०पा० थाना	100000 रूपये
	2. रा०क०प्रा०पा० गुथललागढ	100000 रूपये
	3. रा०क०प्रा०पा० ई ाक	100000
भाहबाद	1. रा०प्रा०पा० जोगी माजरी	50000 रूपये

Purchase of Oil Lever Filters

203. Shri Harnam Singh: Will the Minister of State for Cooperation be pleased to State-

(a) whether any oil Lever Filters have been purchased by the M.D Cooperative Sugar Mill, Shahabad during the year 1988; if so, the amount spent thereon together with the names of the firms which these were purchased; and

(b) whether any enquiry has been conducted about the said purchase of Oil Lever Filters during the same period; if so, the details thereof?

सहकारिता राज्य मंत्री श्री धीर पाल सिंह:

(क) मैसर्ज यूनीवर्सल हैवी इन्जीनियरिंग कम्पनी, सहारनपुर से वर्ष 1988 में 2.89 लाख रुपये की राशि का एक ओलीवर फिल्टर ड्रम सहायक सामान सहित खरीदा गया था।

(ख) जी नहीं।

Rohit Minor

204. Shri Harnam Singh: Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state-

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government to construct the Rohit Minor of Thaska Meerangi Distributary: and

(b) if so, the time by which the aforesaid Minor is likely to be constructed?

मुख्यमंत्री मंत्री चौधरी औमप्रका । चौटाला:

(क) हां ।

(ख) इस कार्या को पूरा करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

Executive Officers for 'B' Class Municipal Committees

193. Seth Lachman Dass Bajaj: Will the Minister for Local Government be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to appoint Executive Officers in 'B' Class Municipal Committees in the State?

स्थानीय भासन मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियाल): जी नहीं ।

Government Aided and Privately managed Pharmacy Colleges

194. Seth Lachhman Dass Bajaj: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of Pharmacy Colleges function in the State togetherwith the number of studens enrolled therin;

(b) the number of colleges out of those as referred to in par (a) above, are Government aided or privately managed, separately; and

(c) whether any case of demanding the donations by the management of the aforesiad colleges form the students at the time of admission came to the notice of the Government; if so, the steps taken or proposed to be taken to check this malpracticos ?

मुख्य मंत्री (चौधरी औमप्रका ा चौटाला):

(क) हरियाणा मे 13 सस्थाये फार्मसी डिप्लोमा कोर्स चलाती है । इनकी वार्षिक प्रवे ा क्षमता 940 है ।

(ख) 7 सस्थाये सरकारी है, 5 सस्थाये गैर सरकारी बिना सहायता और एक गैर सरकारी सहायता प्राप्त सस्था है ।

(ग) जी हा, कुछ विवादायते सरकार के ध्यान में आई। इन सस्थाओं द्वारा गैर कानूनी दान डोने इन कैपीटे इन फीस लेने की कुप्रथा को रोकने के लिये सरकार ने इस सस्थाओं के लिए फीस की दरें निर्धारित की हैं। वर्ष 1988-89 में सभी सस्थाओं के लिये केन्द्रित दाखलों की प्रणाली शुरू की गई थी। 4 गैर सरकारी, बिना सहायता प्राप्त सस्थाओं ने केन्द्रित दाखलों की इस प्रणाली को स्वीकार नहीं किया और एक सस्था ने इसे पंजाब एवम हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली। सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की, जो न्यायालय के निर्णयार्थ लम्बित है उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय की स्टेप्रदान की हुई है।

विभिन्न विषयों को उठाया जाना

डा० मंगल सैन: स्पीकर सर, मैंने आज एक काल अटै इन मो इन दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी मेरी बात को जरा गौर से सुने। पिछले दिनों अखबारों में आया था और आज भी इंडियन एक्सप्रेस के तीसरे सफे पर छपा है कि चौधरी देवी लाल ने एक सीनियर आई०ए०एस० ऑफिसर को अपने साथ लगाया था लेकिन अब उनके छोटे सपुत्र ने उनके विरुद्ध पचकूला के किसी प्लॉट की अलॉटमेंट सम्बन्धी रिकार्ड को टैम्पर विद करने का इलजाम लगाया है और उसको हटवाने के प्रयास में है। The entire Government has become a laughing stock because of it. The Government must come forward with a statement and clarify the matter.

Mr. Speaker: I have disallowed it.

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, मेरा एक ऐडजर्नमेंट मोशन है। सारे हरियाणा के आठ जिलों में एक साल से वकीलों की हडताल चल रही है। लोग परेशान हैं, जुडीसियल पैरेलाइज हो रही है। और लोग जेलों में पड़े हैं। किसी मुकदमे का कोई फैसला नहीं हो रहा है। सरकार ने इसके लिये कुछ नहीं किया है। मेरी अर्ज यह है कि मेरा यह ऐडजर्नमेंट मोशन ऐडमिट किया जाये।

Mr. Speaker: Dr. Sahib. I have disallowed it also.

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरे काल अटैमन मोशन का क्या हुआ?

Mr. Speaker: Doctor Sahib, I have told you that I have disallowed that.

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरे सुनने में भायद कमी रह गई। It is a very important matter, Sir.

श्री अध्यक्ष: उस वक्त भायद आप यह भूल गए थे कि यह बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं भूला नहीं था लेकिन कई बार हमारी तरफ आपकी नज़रे इनायत नहीं होती।

श्री अध्यक्ष: डा० साहब, ऐसी कोई बात नहीं है But as I have told you, I have disallowed it.

डा० मंगल सैन: फिर तो आपने अच्छा नहीं किया।

Mr. Speaker: Doctor Sahib, It is most unfortunate that a very senior legislator like you should make such a remark.

Dr. Mangal Sein: Sir, I withdraw these words.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of calling attention motion No. 18 from Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A regarding falling down of ground water level in the districts of Mahendergarh and Rewari. I admit it. अब कैप्टन अजय सिंह, एम०एल०ए०ए० अपना नोटिस पढ दे और उसके बाद कन्सर्ड मिनिस्टर यदि स्टेटमेंट देना चाहे तो दे दे।

Capt. Ajay Singh Yadav: Mr, Speaker, Sir, I want to draw the attention of this August House that the watertable in the districts of Mahendergarh and Rewari is falling continuously, due to which water of wells is drying up and farmers are facing many difficulties in irrigating their lands. Drinking water problem is also becoming serious. The land becomes barren in case it is being irrigated by the water of wells as the same is saline one, Both these districts are being deprived of irrigation for not giving electric connections to pump houses inspite of having the supply of canal water through Jawahar Lal Nehru Canal and Mahendergarh Canal. Animals also are not getting sufficient drinking water, The ponds have been dried up. The supply of drinking water depends upon the water of wells in the villages and cities

water depends upon the water of wells in the villages and cities of district Mahendergarh and Rewari. The drinking water schemes have become useless due to the fall in water table. In both the districts farmers are facing a great difficulty for not having the Lining of water courses provided for canal irrigation. Both districts are getting less of water from the available canal water.

I therefore, request that the electric connection be given to all the pump houses of Jawahar Lal Nehru Canal and Mahendergarh Canal and Canal water in more quantity be supplied immediately for drinking as well as for irrigation purposes so that the dry fields of these districts be irrigated and the concerned Minister may clarify the position in the House by making a statement after taking immediate action in the matter.

वक्तव्य

सिचाई तथा बिजली राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

सिचाई तथा बिजली राज्य मंत्री (श्री सचदेव त्यागी):
जिला महेन्द्रगढ तथा रिवाडी मे, 1974 से 1989 तक, भूमिगत जल का स्तर औसतन 5 मीटर तक नीचे गिर गया है। जल स्तर गिरने के मुख्य कारण भूजल स्रोतो से पानी की अधिक निकासी उथले नलकूप तथा पम्पिंग सैट द्वारा जिनकी सख्या इस दौरान 18000 से लगभग 41000 हो गई है। औसतन वर्षा की कमी के साथ साथ

कुछ वर्षों से भारी सूखे की स्थिति और राजस्थान द्वारा साहिबी, कृष्णावती तथा दोहान, बरसाती नदियों पर बनाये गये जलधर है।

2. धरातल जलस्तर के गिरने के उत्पन्न हुई कठिनाइयों से निपटने के लिए, राज्य सरकार से नीचे लिखे उपाय किये हैं:-

(1) इन जिलों के लिये बनाई गई जवाहर नेहरू सिंचाई योजना रबी के दौरान कोई सिंचाई की सुविधा नहीं रखती जब तक कि राबी ब्यास का फालतू पानी उपलब्ध नहीं होता जो कि सतलुज यमुना नहर के पूरा होने के उपरान्त उपलब्ध होगा। 1979 से पानी की सुविधा रबी की फसल के लिये भी उपलब्ध कराई जा रही है। यही नहीं राज्य सरकार ने पिछले तीन सालों से पानी की सुविधा बढ़ाने के लिए विशेष प्रबन्ध किये हैं जिसमें 1986-87 में करीब 1.33 लाख क्यूसिक दिनों से बढ़ाकर 1989-90 20 मार्च 1990 तक में 1.79 लाख क्यूसिक दिन हो गये हैं। इसके फलस्वरूप सिंचित भूमि भी इस दौरान 43299 एकड़ से बढ़कर 60968 एकड़ हो गई है।

(2) जवाहर लाल नेहरू योजना का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। इन जिलों के 80 पम्प घरों में से 48 पम्प घरों को बिजली देकर चालू कर दिया गया है जिनमें से 25 पम्प घरों को विशेष कर पिछले तीन वर्षों में बिजली देकर चालू किया गया है।

(3) केवल 8 गावों को छोड़कर जो कि चार प्रति जिला है, भोश समस्त गावों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। लगभग तीन साल पहले पीने के पानी की स्थिति सन्तोशजनक नहीं थी और अधिकतर गावों में पीने के पानी की उपलब्धि एक दिन छोड़कर होती थी। पिछले तीन सालों में सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं के अन्तर्गत इन दोनों जिलों में 102 नलकूप लगाये गये हैं जिसके माध्यम से पीने के पानी की कठित गावों की सुविधा बढ़ी है। इसके इलावा एक पीने के पानी की योजना नारनौल भाहर के लिए बनाई गई है जिसमें पीने का पानी नहर से उपलब्ध कराया जाता है।

(4) जहां तक पंजाब के लिए पीने का पानी देने का सम्बन्ध है सरकार ने इस सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों में विशेष ध्यान दिया है। ओर समय समय पर नहर से गावों के जोहड भरे हैं। जहां कहीं भी गावों की पचायतों ने खाले बनाकर दूर दराज के जोहडों को भरने के लिए कहा, वहां पर अस्थाई मोगे लगाये गये और जोहड भर दिये गये।

3. जो कुछ अब तक हुआ है, राज्य सरकार को उससे सतोश नहीं है। इस समस्या की गहराई को समझते हुए सरकार नीचे लिखे कदम उठाना चाहती है:—

(1) उन क्षेत्रों में जहाँ के पानी की उपलब्धि की स्थिति काफी खराब है मैं पड़ने वाले पम्प घरों को उच्चतम स्तर पर विद्युतीकरण करने हेतु प्रयत्न किये जायेंगे।

(2) सतलुज यमुना लिंक नहर की पूर्णता पर रावी ब्यास पानी के प्राप्त होने के पचास नहरों में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के साथ साथ पेय जल जहाँ तक सम्भव होगा, देने की योजना को बढ़ाव दिया जायेगा।

(3) राजस्थान सरकार से उस समस्या को लेकर जो कि उन द्वारा साहबी, कृष्णावती और दोहान दरियाओं पर पानी इकट्ठा करने के स्रोतों के कारण उत्पन्न हुई है, पर बातचीत की जा रही है। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार से प्रयत्न तब तक जारी रखे जायेंगे जब तक कि सतोशजनक स्थिति उपलब्ध नहीं हो जाती।

(4) जवाहर लाल नेहरू परियोजना को चाले करने सम्बन्धी, जब तक कि फालतू न प्रयोग होने वाला यमुना नदी का पानी उपलब्ध रहेगा के बारे में प्रयत्न जारी रखे जायेंगे। इसके साथ साथ कम हो रहे भूजल स्तर को पुनर्चार्ज करने सम्बन्धी योजनाओं पर विचार जारी रहेगा।

(5) सतलुज यमुना लिंक परियोजना का पूरा करवाने सम्बन्धी सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि जवाहर लाल नेहरू परियोजना को इसके हिस्से के पानी की उपलब्धि जो कि रावी

ब्यास के फालतू पानी से प्राप्त होनी है, हो सके,। इसके प चात यह परियोजना अधिक डिस्चार्ज तथा रबी समय मे लबी अवधि तक उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ भूजल स्तर की कमी को काफी लम्बे क्षेत्र मे पुन स्तर पर लाने हेतू प्रयत्न भी जारी रहेगे।

4. जवाहर लाल नेहरू परियोजना मे और अधिक पानी की उपलब्धि तब तक सम्भव नही होगी जब तक कि सतलुज यमुना लिंक परियोजना पूरी तकर निर्मित नही हो जाती।

5. जंहा तक खालो को पक्का करने का सम्बन्ध है, इन जिलो के यह कार्य वर्ष 1998 मे चालू कर दिया गया था अब तक 4.58 लाख चालू फुट खालो की लम्बाई पक्की कर दी गई है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, सरकार पिछले 10 वर्षा से वर्षा न होने के कारण महेन्द्रगढ तथा रिवाडी जिलो मे भूमिगत पानी का स्तर लगातार नीचे गिर गया है और राजस्थान सरकार ने साहबी नदी, कृष्णावती नदी तथा दोहान नही के ऊपर छोटे छोटे बांध बनाकर पानी को रोक लिया है और वह पानी इधर हरियाणा को और नही आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, आप सवाल कीजियेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, मेरा सवाल है कि सरकार ने भूमिगत जल स्तर को ऊंचा के लिये राजस्थान, सरकार से कितनी बार बातचीत की है ताकि हमारे हिस्से का पूरा

पानी हमें मिल सके ? सरकार इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करे ।

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, बातचीत चल रही है, आखिरी दौर पर है लेकिन अभी कोई डिस्मिशन नहीं हो पाया है ।

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने कहा कि पानी अभी अधिक मात्रा में नहीं मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, करनाल, सोनीपत और रोहतक जिलों में काफी वाटर लॉगिंग है । क्या दूसरे इलाकों के भूमिगत जल स्तर को ऊंचा लाने के लिये अथवा इस उपलब्ध जल की री चार्जिंग करके इसे नहरों में छोड़ने की कोई योजना सरकार के विचारधीन है ताकि वाटर लौंग्ड एरिया में वाटर की री चार्जिंग हो जाए, दूसरे इलाकों में वाटर लैबल ऊपर आ जाए और जरूरतमन्द लोगों को सिंचाई के साधन आसानी से उपलब्ध हो सके ?

श्री सचदेव त्यागी: इस के बारे में लिखित उत्तर दे दिया गया है कि सतलुज यमुना लिंक नहर की पूर्णता पर रावी ब्यास पानी के प्राप्त होने के बाद नहरों में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के साथ साथ पेय जल जंहा तक सम्भव होगा, देने की योजना को बढ़ावा दिया जायेगा । मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि जे०एल०एन० कैनाल साल में केवल तीन महीने जुलाई, अगस्त और सितम्बर में टैम्पोरेरी फक्सन करती है । जब एस०वाई०एल० का पानी आ जाएगा तभी यह नहर लगातार चल सकेगी । जो यमुना का पानी

बरसात के दिनों में इक्कठा होता है उस पानी को आवयकता के अनुसार इलाके में दिया जाता है। अब हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि बगैर डिमांड के भी पानी उधर दिया जाए।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पक्की ईंटों की कीमतों में वृद्धि के कारण लोगों में भारी रोश होने सम्बन्धी

Mr. Speaker. Hon'ble Members, I have received a notice of calling attention motion No. 19 from Shri Harnam Singh, M.L.A regarding great resentment amongst the people due to increase in the price of pucca bricks. I admit it. He may please read his notice and the Minister concerned may make a statement thereafter.

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, इस महान सदन का ध्यान इस विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हरियाणा में पक्की ईंटों का भाव 6000 रुपये प्रति हजार से बढ़ कर 750 रुपये में 800 रुपये प्रति हजार हो गया है जबकि सरकार ने पक्की ईंटों की कीमत 600 रुपये प्रति हजार तय की हुई है। कीमतों में वृद्धि के कारण भवन निर्माण कार्य बहुत प्रभावित हुआ है। इस कारण लोगों में बहुत बैचनी है। यदि ईंटों को उचित दर पर सप्लाई करने का प्रबन्ध नहीं किया गया तो इसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः मैं निवेदन हूँ कि सरकार इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करके तदानुसार सदन को सूचित करे।

वक्तव्य

खाध तथा पूर्ति राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

खाध तथा पूर्ति राज्य मंत्री (श्री नरसिंह ढाडा): स्पीकर साहब, पिछले वर्ष सरकार के नोटिस मे आया था कि ईटो के भाव बहुत बढ गये है। और भटठा मालिक राज्य से बाहर ईटो को भेजकर ईटो की कमी पैदा कर रहे है। इस स्थिति को मधेनजर रखते हुये राज्य सरकार ने हरियाणा कन्ट्रोल औफ ब्रिकस सप्लाइज आर्डर, 1972 की धारा 10 तथा 11 के अन्तर्गत ईटो की सिलिंग प्राईसीज निर्धारित कर दी और ईटो के राज्य से बाहर से जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। ईटो के सिलिंग रेट दिनांक 5.9.1989 से भटठा स्थल पर सभी टैक्सो सहित प्रति एक हजार निम्न प्रकार निर्धारित किये गये थे, जिसमे परिवहन, ईटो की लदाई तथा उतरवाई भामिल नही है:-

1.	प्रथम श्रेणी	600.00 रूपये
2.	द्वितीय श्रेणी	530.00 रूपये
3.	तृतीय श्रेणी	460.00 रूपये

उक्त अकु 1 अभी भी राज्य मे लागू है व सरकार का ईटो के विक्रय भावो पर नियन्त्रण है तथा ईटो के राज्य से बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध है। जो कार्यवाही हरियाणा मे ईटो के भावों

को बढ़ने से रोकने के लिए की गई है ऐसी कार्यवाही हरियाणा के साथ लगते राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान तथा पंजाब किसी में नहीं की गई है।

उपरोक्त के साथ साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि ईंटे सिलिंग भाव पर उपलब्ध हो और भट्टे वाले ईंटों का राज्य से बाहर निर्यात न करे, जिलाधी 1/जिला खाद्य तथा पूर्ति नियन्त्रक को हिदायत दी गई है कि सरकार द्वारा जारी आदेशों की कठोरता से पालना की जाये और दोषी पाये जाने वाले भट्टा स्वामियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए। इस सम्बन्ध में विभिन्न जिलाधी 10/जिला खाद्य तथा पूर्ति नियन्त्रक द्वारा समय समय पर दोषी भट्टा मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी उपभोगता विभागों के निर्माण कार्यों में कोई बाधा न पड़े, जिलाधी 10 द्वारा परमिट प्रणाली के माध्यम से उन्हें ईंटे उचित भाव पर उपलब्ध करवाई गई है और इस विभागों से सिलिंग रेट निर्धारित करने के पश्चात् कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जब जब किसी उपभोगता द्वारा अधिक रेट लेने बारे शिकायत की गई है, विभाग द्वारा उस भट्टा मालिक के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

इस वर्ष लगभग 257 भट्टे राज्य में स्थापित किये गये हैं। इस प्रकार इस वर्ष राज्य में 1496 भट्ट ईंट निर्माण में कार्यरत हैं जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या 1239 थी। यह सत्य है

कि इस वर्ष ईटो के उत्पादन पर असामायिक वर्षा होने के कारण बुरा प्रभाव पडा है और ईटो का उत्पादन कुछ कम हुआ है।

राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले से ईटो की उपलब्धता व मूल्यो की स्थिति बारे रिपोर्ट मंगवाई जाती है और जिला खाध तथा पूर्ति नियन्त्रको द्वारा यही सूचना दी गई है कि जिले मे ईटे निर्धारित मूल्य 600.00 रूपये प्रति 1000 ईटे, पर उपलब्ध है।

इस वर्ष असामायिक वर्षा के कारण ईटो के उत्पादन मे कमी आई है और यह सम्भव है कि ईटो की उपलब्धता मे उपभोग्ताओ को कुछ दिक्कते आ गई होगी। इस स्थिति को नियन्त्रण मे करने के लिए सरकार द्वारा निर्दे 1 जारी किये गये है कि हरियाणा कन्ट्रोल औफ ब्रिकस सप्लार्इज आर्डर, 1972 की पालना और अधिक सख्ती से की जाए ताकि ईटो का निर्यात राज्य से न हो और उपभोक्ताओ को निर्धारित मूल्य पर ईटे मिल सके। विभाग द्वारा इस उपलब्ध मे कोई भी िाकायत मिलने पर तुरन्त सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी इस बात के लिए उचित कार्यवाही करेगे कि जितनी ईटे पैदा होती है, वे सिविल सप्लार्इ महकमे के कन्ट्रोल के अन्डर लोगो को ठीक रेट पर दी जाएगी ?

श्री नर सिंह ढाडा: अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रस्ताव अभी सरकार के विचारधीन नही है क्योकि इसमे बडा भारी दिक्कत

आती है। एक एक कज्यूमर को परमिट काट कर देना पडता है और भटठे से ईट दिलानी पडती है इसलिए यह मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है।

श्री हरनाम सिंह: फिर यह जो आपने भरोसा दिलाया है कि ठीक रेट पर ईट दिलाई जाएगी, वह अमली रूप में कैसे आएगा ?

श्री नर सिंह ढाडा: अध्यक्ष महोदय, जंहा कही भी कोई कज्यूमर िाकायत करता है कि मेरे को ईट इस भाव पर नहीं मिल रही है, उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है। लेकिन आम तौर पर देखा गया है कि िाकायतकर्ता की िाकायत पर जब इन्क्वायरी होती है तो उस समय वह अपनी िाकायत को वापिस ले लेता है और कह देता है मुझे कोई िाकायत नहीं है। हमने महकमे को आर्डर दे रखे है कि इस प्रकार की िाकायत सुनने में न आए। पिछली 5 तारीख तक हमने पूरे हरियाणा के भटठो की इन्क्वायरी की जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है इस बारे में एफ0आई0आर0 तक भी लौज की गई है।

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: अब पार्लियामैटरी अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 121 के तहत रूल 30 को सस्पेंड करने के लिए मोान मूव करेंगे।

Home Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That Rule 30 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government business on Thursday, the 29th March, 1990.

Sir, I also move

That Rule 30 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government business on Thursday, the 29th March, 1990.

Mr. Speaker: Motion moved-

That Rule 30 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government business on Thursday, the 29th March, 1990.

That Rule 30 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 29th March, 1990.

श्री हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि वीरवार का दिन गैर सरकारी कार्य के लिए रखा हुआ है लेकिन इस सारे सेशन में पिछला वीरवार भी इस तरह से खत्म कर दिया था और इस वीरवार को भी इसी तरह से खत्म किया

जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस तरह करने से माननीय सदस्यों के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, बिजनस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन ने ऐडॉप्ट कर ली है। इसलिए रिपोर्ट सदन द्वारा ऐडॉप्ट करने के बाद यह प्रश्न पैदा नहीं होता। आज के दिन सरकार कार्य करने के लिए 10 दिन पहले ही फैसला हो चुका था।

डा० मंगल सैन रोहतक: स्पीकर साहब, आपने बजा फरमाया है कि आज के दिन सरकारी कार्य करने के लिए 10 दिन पहले ही सदन में बिजनस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट ऐडॉप्ट कर ली थी। लेकिन, स्पीकर साहब, वह रिपोर्ट ऐडॉप्ट करने के बाद ही आज यह मोर्चा लाया गया है और हमें इस पर बोलने का अधिकार है। आप इस बात को ऐंग्री करेंगे। हमारी हम्बल सबमिशन है कि *democracy runs by deliberations*. अगर डेलीबरेशन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। यह गवर्नमेंट बहुत मजबूत है और बड़े बड़े अच्छे आदमी के हाथ में है। अगर आज का दिन नौन ऑफिसियल डे कर दिया जाए तो गैर सरकारी काम हो जाएगा और भाई सम्पत सिंह को भी बोलने का मौका मिलेगा। हमें भी बोलने का मौका मिलेगा और सब अपनी बात कर सकेंगे। इस तरह से सारा हाउस ऐनलाइटन होगा। हाउस के माध्यम से सारे प्रदेशों की जनता को पता लगेगा। अगर हम लोग बिजनस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट ऐडॉप्ट कर चुके हैं तो कोई

बात नहीं अगर हमारी बात मान जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी वरना वोट तो हमें देना ही पड़ेगा।

श्री कैला । चन्द भार्मा (नारनौल): स्पीकर साहब, सारे साल में दो सैं इन होते हैं और सैं इन के दौरान वीरवार का दिन गैर सरकारी काम करने के लिए मिलता है। मैंने आपकी सेवा में हरियाणा ऐडवोकेटस वैंल्फ़ैयर बिल दिया हुआ है। मैं चाहता था कि आज मुझे उस पर बोलने का अवसर मिलेगा परन्तु आज का दिन नौन ऑफिं ियल डे की बजाय ऑफिं ियल बिजनैस डिस्कस करने के लिए कनवर्ट कर दिया गया है। इस तरह मुझे उस पर बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: भार्मा जी, आपका वह बिल मैंने गवर्नमैंट के पास भेजा हुआ है। जंहा तक आज के दिन सरकारी कार्य करने की बात का ताल्लुक है, हमारे पास केवल एक रैंजोल्यू इन है जो पिछले दो साल से चला आ रहा है, उसके बाद कोई रैंजोल्यू इन नहीं आया। एक कारण यह भी था इसलिए आज का दिन नौन ऑफिं ियल डे की बजाय ऑफिं ियल बिजनैस डिस्कस करने के लिए कनवर्ट किया गया है।

गृह मंत्री प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, जहां तक टाईम की बात है, आपने सभी को बोलने के लिए पूरा टाईम दिया है। अध्यक्ष महोदय नौन ऑफिं ियल बिजनैस न होने की वजह से यह दिन ऑफिं ियल बिजनैस डिस्कस करने के लिए कन्वर्ट

किया गया है। अगर कोई नौन औफि टायल बिजनैस होता तो हमे कोई एतराज नही था।

Mr. Speaker: Question is

That Rule 30 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government business on Thursday, the 29th March, 1990.

&

That Rule 30 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 29th March, 1990.

The motion was carried.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: अब पार्लियामैटरी अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 15 के तहत मूव करेगे।

Home Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' indefinitely.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule Sittings of the Assembly' indefinitely.

Mr. Speaker: Question is-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule Sittings of the Assembly' indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: अब पार्लियामैटरी अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 16 के तहत मूव करेगे।

Home Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move

That the Assemble at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए—

कि असैम्बली अपनी आज बैठक के उठने पर साईन डाई ऐडजर्न होगी।

श्री अध्यक्ष: प्रान है—

कि असैम्बली अपनी आज बैठक के उठने पर साईन डाई ऐडजर्न होगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुए।

समितियों की रिपोर्टस पे ा करना—

(i) कमेटी औरन सबौडिनेट लैजिसले ान की 21वी रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: अब कमेटी औरन सबौडिनेट लैजिसले ान के चेयरमैन, श्री सुरेन्द्र, कमेटी की वर्ष 1989-90 के लिए 21वी रिपोर्ट पे ा करेगे।

Shri Surinder (Chairman, Committee on subordinate Legislation): Sir. I beg to present the Twenty First Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1989-90.

(ii) कमेटी औरन दि वैल्फेयर और भाडयूल्ड कास्टस एण्ड भाडयूल्ड ट्राईब्ज की 15वी रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: अब कमेटी औरन दि वैल्फेयर और भाडयूल्ड कास्टस एण्ड भाडयूल्ड ट्राईब्ज के सदस्य श्री भागमल, कमेटी की वर्ष 1989-90 के लिए 15वी रिपोर्ट पे ा करेगे।

श्री भागमल, कमेटी(सदस्य औरन दि वैल्फेयर और भाडयूल्ड कास्टस एण्ड भाडयूल्ड ट्राईब्ज): अध्यक्ष महोदय मै कमेटी औरन दि वैल्फेयर और भाडयूल्ड कास्टस एण्ड भाडयूल्ड ट्राईब्ज कमेटी की वर्ष 1989-90 के लिए 15वी रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

बिल्ज

(i) दी हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैडमैट) बिल, 1990

Mr. Speaker: Now, the Local Government Minister will introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1990 and also move for its consideration.

स्थानीय भासन राज्य मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियाल): अध्यक्ष महोदय, मैं दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैडमैट) बिल, 1990 को प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ—

दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैडमैट) बिल, पर तुरन्त विचार किया जाये।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Municipal Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री कैला । चन्द भार्मा (नारनौल): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि नगरपालिकाओं की आय के जो साधन हैं, वे बहुत समय पहले तय किए गए थे और उस हिसाब से जो आय नगरपालिकाओं की होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई। इस समय बहुत सारे लोगों के पास नगरपालिकाओं की राशि । बकाया पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन हमारी सभी नगरपालिकाओं खास

कर जो (बी) और (सी) श्रेणी की नगरपालिका है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। यदि हम इन नगरपालिका न कह कर कर्मचारीपालिका कहे तो कोई अति योक्ति नहीं होगी। ये नगरपालिका सारी कोर्णा करने के बाद जो आय कर पाती है, उससे ये सिर्फ अपने कर्मचारियों को तनखाह ही दे पाती है। कई बार हालात यह भी हो जाती है कि ये नगरपालिकाएं दो-दो, तीन-तीन महीनों तक अपने कर्मचारियों को तनखाह भी नहीं दे पाती। अगर ये तनखाहे ही न दे पाएंगी तो विकास के कार्य तो गौण हो ही जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि थोड़ा अकुल लगने से म्यूनिसिपैलिटीज की आय बढेगी, इसलिए मंत्री जी से मेरा सुझाव है कि एक बार इस नगरपालिकाओं पर गम्भीरता से विचार कर के कार्यविधि तैयार करे। पहले नगरपालिकाओं के पास 2-3 साधन आय के थे। एक तो डिवैल्पमेंट चार्जिज आते थे और दूसरे मकाने के नक्शे वगैरा पास करके कुछ आमदनी कर लेती थी लेकिन आज नगरपालिकाओं की स्थिति ऐसी हो गई कि यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका के पास नक्शा पास करवाने के लिए जाता है तो नगरपालिका के कर्मचारी यह कर टाल देते हैं कि नक्शा पास करने का हमें अधिकार ही नहीं है और नक्शा वापिस कर देते हैं। गावों के लोग रोजगार की तलाश में बाहरो में आते हैं। यह स्वाभाविक है कि बाहर में रहने के लिए उनको मकान भी चाहिए। जब उनके नक्शे पास नहीं होते तो स्वाभाविक रूप से वे अनऑथोराइज्ड कान बनायेगे और इस प्रकार अनऑथोराइज्ड कालोनीज बन रही है। आज कोई

भी ऐसा नगर नहीं है जिसके आसपास अनौथोराइज्ड मकान न बने रहे हो। इसका कारण यह है कि हम उनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था नहीं कर पाते। आज नगरपालिकाओं की आय समाप्त हो गई है और जो डिवैल्पमेंट चार्जिज मिलते थे वे भी समाप्त हो गए हैं। हम लोगो के सामने भी कई समस्याए खड़ी हो गई है। जब हम किसी बात को ले कर उन लोगो के सामने भी कई समस्याए खड़ी हो गई है। जब हम किसी बात को ले कर उन लोगो के सामने जाते हैं या वोट लेने के लिए जाते हैं तो लोग खडे हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी कालोनी में पीने का पानी नहीं है, सडक नहीं है, नालियां नहीं हैं। जब हम कहते हैं कि क्या आपने डिवैल्पमेंट चार्जिज दिये हैं तो उनका जवाब होता है यह चार्जिज लेने वाला ही नहीं कोई नहीं है। चार्जिज देने वाले के सामने समस्या खड़ी कर जाती है कि टाउन एण्ड कट्री प्लानिंग से कोई लैटर आया हुआ है। कि भाहर की सीमा निर्धारित करेंगे तक चार्जिज लेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस विधानसभा का सदस्य बने हुए मुझे तीन साल हो गए हैं लेकिन 3 साल से उनके पास यही एक जवाब है। सीमा निर्धारित करने के लिए उनसे बार बार कहा गया, और पूछा गया कि सीमा कब तक निर्धारित करनी है, कितना समय लगेगा, इसके लिए कोई व्यवस्था तो कीजिए ? इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि नगरपालिकाओ की सीमा कब निर्धारित होगी, नक्शा कब पास करेंगे, इसके लिए कोई व्यवस्था करे। इतनी ही मेरी प्रार्थना है। जंहा नगरपालिकाओ की आय बढ़ाने के लिए यह बिल लाया गया है वहां

इस बात पर भी गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि नगरपालिकाओं की सीमा बढ़ाने के लिए कोई तरीका अपनाया जाये।

श्री अध्यक्ष: कैला । जी, अब आप कृपया बैठे।?

श्री कैला । चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय मैं एक और बहुत ही जरूरी बात कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों के लोगों को मकान बनाने के लिए पचायते भूमि देती है, उसी प्रकार बाहरो में भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग रोजगार की तलाश में बाहरो में आते हैं, उनमें जो पिछड़ी जाति के हरिजन बन्धु हैं, उनके लिए भी नगरपालिकाओं को अधिकार दिए जाए कि वे भी अपने क्षेत्रों में गरीब आदमियों और हरिजनों को मकान बनाने के लिए प्लॉट दे ताकि वे ठीक प्रकार से रहे सकें। इस प्रकार की व्यवस्था भी नगरपालिकाओं में होनी चाहिए। धन्यवाद।

सेठ लक्ष्मण दास बजाज (करनाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं म्यूनिसिपल कमेटियों के बारे में 2-4 बातें कहना चाहता हूँ और सुझाव भी देना चाहता हूँ। मेरा पहला सुझाव हाऊस टैक्स और मार्केट टैक्स की बकाया राशि की वसूली के बारे में है। इन टैक्सों के बकायता की वसूली करने का हमारे पास कोई प्रबन्ध नहीं है, इन के लिए कोई प्रबन्ध किया जाए। इसके साथ ही जिन लोगों ने 30-35 साल से भामलता देह जमीन पर

कब्जा कर रखा है, जिसका उन्हें कोई हक नहीं, उसके लिए कोई न कोई कानून बनाया जाए जिसके तहत कमेटियां उनसे पैसा से सके और म्यूनिसिपल कमेटियां चल सकें। ऐसी जमीन सैकड़ों नहीं हजारों एकड़ पड़ी है। केवल करनाल में चौथाई हिस्सा ऐसी भामलात देह जमीन पड़ी है जिस पर लोगों का नायाजब कब्जा है। इस जमीन का पैसा न तो सरकार को मिला है और न ही म्यूनिसिपल कमेटियों को मिला है। नगरपालिकाओं से सैकड़ों केस अदालतों में पड़े हैं। मेरी म्यूनिसिपल कमेटी में 200-250 केसिज पिछले डेढ़ से तीन साल के समय पैडिंग पड़े हैं। इस प्रकार के केसों का भी कुछ न कुछ हल होना चाहिए ताकि ये फैसले जल्दी से जल्दी हो सकें। स्पीकर साहब, इसके साथ ही मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ। हाउस में तो हम कोई चीज पास कर देते हैं लेकिन सरकार उसकी इम्पलमेंटेशन प्रोपर नहीं करती। हमने हाउस में पास कर दिया कि श्री व्हीलर और फोर व्हीलर खरीद जाए लेकिन जब इस बारे में गवर्नमेंट को लिखते हैं तो उस में 6 महीने, 8 महीने या साल का समय लग जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि इसका अधिकार डी0सीज0 को दिया जाए ताकि हम उनके थ्रू जल्दी खरीद करे और हमारा काम चल सके। हमारे बाहर में सफाई की हालत भी बहुत खराब है, उसके बारे में भी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं रिफ्यूज कलैक्टर की बाबत भी करना चाहता हूँ। रिफ्यूज कलैक्टर तकरीबन 5 लाख रुपये का आता है जो म्यूनिसिपल कमेटीया खरीद सकती है लेकिन खरीदने की इजाजत नहीं है। इसलिए

निवेदन है कि उन्हें खरीदने की इजाजत दी जाए। जब कभी सरकार को लिखा जाता है तो सरकार से इजाजत मिलने में कम से कम एक साल का समय लग जाता है।

श्री अध्यक्ष: अब आप खत्म करिये क्योंकि ये बातें बिल में नहीं हैं।

11.00 बजे

सेठ लक्ष्मण दास बजाज: स्पीकर साहब, मैं थोड़े से सुझाव दे रहा हूँ अगर इन पर विचार हो जाए तो आसानी हो जाएगी। फोर व्हीलर और थ्री व्हीलर खरीदने का जो काम है यदि उकसी पावर डी0सी0 साहब को दे दी जाए तो हमारा काम आसानी से हल हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जो लोग 30-35 साल में म्यूनिसिपल कमेटीज की जमीनों पर कब्जे किए हुए बैठे हैं उन्हें 100 गज के प्लॉट दे दिए जाएं और डी0सी0 को अधिकार दे दिया जाए कि वह उचित रेट लगा कर उन्हें अलॉट कर दे।

श्री सीता राम सिंगला (गुडगाव): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ लेकिन कुछ सुझाव भी देना चाहूँगा। अच्छी बात है नगरपालिकाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए यह बिल पेश किया गया है लेकिन वहाँ पर नगरपालिकाओं की जमीन तहें बाजारी पर दी हुई हैं, उसे दबा कर बेचने की योजना बनाई जा रही है। जिन लोगों ने नायायज

तौर पर कब्जे कर रखे हैं, वे यह देख रहे हैं कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव या सरकार, पुराने कब्जों की जमीन को उन्हें बेच दे। यह सारा काम योजनाबद्ध तरीका से हो रहा है और भाहरो में जमीनें बिक रही हैं। इस पर पाबंदी लगाई जाए ताकि किराये की आमदनी बरकरार रहे। जहां तक नक्शा पास करने की बात का ताल्लुक है जो श्री कैलाश जी ने कही, अनएंप्रूव्ड कालोनी बहुत ज्यादा है, उनके नक्शों को पास होने चाहिए। मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आमतौर पर उन कालोनीज में देहात के आदमी बसते हैं। वे मजदूर या किसान हैं जो रोजगार के लिए भाहरो में आते हैं और अपनी छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। यह बात ठीक है कि वहां पर नक्शों को पास नहीं हो रहे और न ही पानी आदि का प्रबंध है जिसके कारण कमेटी की आमदनी भी कम हो रही है। इनके बारे में सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए। एक बात मैं और सरकार के नोटिस में लाना चाहूंगा कि जो भाराब म्यूनिसिपल कमेटी के एरिया में बिकती है, उसका एक रूपया प्रति बोतल के हिसाब से म्यूनिसिपल कमेटी को मिलता है लेकिन बहुत सी ऐसी नगरपालिकाएं भी हैं जिनको एक रूपया प्रति बोतल नहीं मिलता। इसलिए लोकल बौडीज विभाग को प्रयास करना चाहिए कि ऐक्साईड एण्ड टैक्सो इन डिपार्टमेंट से म्यूनिसिपल कमेटियों को पैसा दिलाया जाये ताकि म्यूनिसिपल कमेटियां का विकास हो सके। अनेक म्यूनिसिपल कमेटियों में पार्क बने हुए हैं जहां डैलीबेजिज पर या परमानेंट तौर पर सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं लेकिन वे कर्मचारी पार्कों से काम न करके, अधिकारियों की

कोठियो पर काम करते है। परिणामस्वरूप म्यूनिसिपल कमेटियो के पास जो बगीचे और पार्क है, वे पिछडे हुए है। लोकल बोडीज विभाग को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि इनका विकास हो सके।

श्री हीरा नन्द आर्य(लोहारू): अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हू कि कमेटी हाउस टैक्स पर जो ब्याज की दर निर्धारित कर रही है, यह वैसे तो ठीक है, इसका मै समर्थन करता हूं लेकिन सरकार इस स्थिति को भी स्पष्ट करे दे कि यदि गलत बिल दे दिए जाते है तो ब्याज किस हिसाब से वसूल करेगे ? अगर बिल पर कोई औब्जैक्शन करेगा तो क्या उस औब्जैक्शन के दौरान भी उस पर ब्याज दर वही लगेगा या नही ? दूसरी बात यह है कि कमेटियों की जीमन पर जंहा नायाजन कब्जे किये हुए है, और कमेटी की तरफ से पानी की व्यवस्था भी नही है, उनके बारे मे जब कमेटी से पूछा जाता है तो कमेटी वाले कह देते है कि पानी की व्यवस्था का टोटल चार्ज पब्लिक हैल्थ विभाग के हाथ मे है। जब पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट से पूछा जाता है तो वह कह देता है कि कमेटी के हाथ मे है। इसलिए इन दोनो विभागो मे तालमेल होनी चाहिए जिससे पानी की व्यवस्था ठीक हो। यही सीवरेज की हालत है। अध्यक्ष महोदय, मै एक बात और भी कहना चाहता हू कि यह ब्याज दर बढ़ाने की बात नही बल्कि कर की चोरी रोकने की बात है। औक्ट्राय की चोरी रूक जाये तो कमेटियों की जो दयानीय आर्थिक स्थिति है

वह सुधार सकती है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है।

स्थानीय भासन मंत्री श्री सुभाश चन्द कटियाल: अध्यक्ष महोदय, भार्मा जी ने अनाधिकृत कालोनियों के बारे में जो बात रखी है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि नक्शा पास करने का अधिकार कमेटी को ही है, इसमें कोई भाक वाली बात नहीं है और कालोनी पास करने का अधिकार टाउन एण्ड कन्ट्री विभाग के पास है। हम उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग बाहरों में आ रहे हैं उनके लिए कोई तरीका बनाया जाये ताकि उनके रहन सहन का इतजाम हो सके। भामतलात जमीन के बारे में बजाज साहब ने कहा है कि इसे अलौट करने की पावर डी0सी0 को दे दी जाये। इस बारे में कानून बनाया गया था लेकिन कोर्ट ने स्ट्रोक डाउन कर दिया है और अब नए सिरे से बात चल रही है कि इस बारे में क्या किया जाये।

सिंगला साहब ने एक बात कही कि यह बाजारी की जमीन नहीं बेचनी चाहिये। सरकार की कोई ऐसी पालिसी तो है नहीं कि तह बाजारी की जमीन बेची जाये और न ही इस बात की कोई मजूरी दी जा रही है। जंहा तक भाराब की इन्कम के बारे में बात है, उसके बारे में नियमित रूप से प्रावधान रखा गया है। कि नगरपालिकाओं को इनकी इन्कम पहुंचे। कईयों की यह पहुंच चुकी है और कईयों को पहुंचने वाली है।

आर्य साहब ने भी पानी के बारे में एक बात कही। पानी की व्यवस्था को सही बनाने के लिए हम पूरी कोशिश करने जा रहे हैं। नगरपालिकाओं को स्वयं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ही यह बिल लाया गया है ताकि नगरपालिकाओं की स्थिति मजबूत हो सके। लगभग 6 करोड़ रुपये के हाउस टैक्स के बिल पड़े हुए हैं। उनको लेने के लिए यानी उग्राही करने के लिये यह सोचा गया है कि कुछ ब्याज लगाया जाये ताकि लोगों के दिमाग में यह बात हो कि अगर हम बिल की पैमेंट लेट करेंगे तो ब्याज देना पड़ेगा। इन भावों के साथ मेरी प्रार्थना है कि इस बिल को पास किया जाए।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Municipal Amendment Bill be taken into consideration at Once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now the Minister Will move that the Bill be passed.

स्थानीय भासन मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियाल):
अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि विधेयक पारित किया जाये।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the bill be passed.

Mr. Speaker: Question is

That the bill be passed

The motion was carried

(ii) दि हरियाणा अर्बन कंट्रोल औफ रेंट एण्ड ऐविक्शन
अमैडमैट बिल, 1990

Mr. Speaker: Now, the Local Government Minister will introduce the Haryana Urban Control of Rent and Eviction Amendment Bill, 1990 and also move the motion for its consideration.

स्थानीय भासन मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियाल):
अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरीय (किराया और बेदखली नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 1990 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ—

कि हरियाणा नगरिय किराया और बेदखली नियंत्रण) संशोधन विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाये।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryan Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री हीना नन्द आर्य(लोहारू): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने हरियाणा नगरीय (किराया और बेदखली नियंत्रण) संशोधन विधेयक 1990 प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह बिल विशेष रूप से इस बात के लिये है कि कर्मचारियों को सुविधा दी जाये। हमारी सरकार जब से सत्ता

मे आयी है कर्मचारियों को एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी सुविधा देती आयी है। कर्मचारियों के पिछले दिनां ही 27 दिन का बोनस दिया गया। इसके अलावा सरकार ने उनके लिए टाईम स्केल देने का भी प्रोवीजन किया है, टाईम बाउन्ड प्रोमोशन देने की व्यवस्था भी की है और कई प्रकार के कदम उठाये हैं। यह सौधान इस बात का भी धोतक है कि कर्मचारियों की सुख सुविधा तथा उनके रहने की व्यवस्था की जाये। अगर कोई कर्मचारी रिटायर हो जाये या रिटायरमेंट से पहले ही उसकी किसी कारणवत् मृत्यु हो जाये, तो उसकी मृत्यु के बाद उसका मकान खाली हो सके। सर्विस के दौरान तो उसको सरकारी मकान मिलता है। कई कर्मचारियों के पास अपना मकान होता है और वह अपना मकान किराये के लिये दे देते हैं। अपना मकान खाली करवाने की सुविधा अब तक केवल ऐक्स सर्विसमैन को ही दी गयी थी। लेकिन इस विधेयक द्वारा सरकार यह सौधान कर रही है कि अगर कोई कर्मचारी, चाहे वह केन्द्र सरकार की नौकरी करता हो, चाहे प्रान्तीय सरकार की नौकरी करता हो, चाहे किसी बोर्ड अथवा कारपोरेशन की सर्विस करता हो, उसकी रिटायरमेंट पर या उसकी मृत्यु होने की सूरत में उसके बच्चे या उत्तराधिकारी को एक साल के अन्दर अन्दर किरायेदार को बेदखल करके अपने मकान में रहने की सुविधा प्राप्त हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने इस बिल के द्वारा जो प्रबन्ध किया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ लेकिन साथ ही मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने कर्मचारियों के लिए

बहुत काम किये हैं और यह भी उसकी का एक अंग है लेकिन कर्मचारियों में कभी कभी असंतोष और गलतफहमी की बात आती रहती है। मेरा सुझाव है कि सरकार की तरफ से कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें दोनों बैठकर बातचीत करके समस्या हल कर सकें। अध्यक्ष महोदय, कोई ऐसी समिति गठित की जाए जो दो तीन या चार महीने में बैठकर करके समस्या का निदान खोज सके। उस समिति में प्रशासक, भाषासक और कर्मचारियों के प्रतिनिधि होने चाहिए और उनमें तालमेल बना रहना चाहिए। दो चार महीने में उस समिति की बैठक हो और बातचीत के द्वारा समस्या हल की जाए जिससे दोनों पक्षों को कोई दिक्कत न हो और आपसी टकराव की स्थिति को टाला जा सके।

श्री हरनाम सिंह (गहबाद): स्पीकर साहब, मैंने इस विधेयक पर एक अमैडमैट दी है। जहां तक विधेयक का तात्लुक है, यह एक अच्छा विधेयक है। इससे सेवा निवृत्त कर्मचारियों को अपने भवन में जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन इस विधेयक के दुरुपयोग होने का डर रहेगा। डर यह है कि लोग बेदखली कराने के लिए अपने मकान की अपने किसी रिश्तेदार, जो कर्मचारी होगा, के नाम कर देगे और इस तरह से आसानी में मकान खाली हो जाएगा। वाकई में अगर किसी कर्मचारी का सचमूच में अपना भवन है और वह उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहता यानी सिर्फ बेदखली के लिए ही वह मकान खाली नहीं

कराना चाहता तो ऐसी सूरत में वह दस साल पहले से मालिक होना चाहिए। अगर वह एक साल पहले ही मकान खरीदता है और बेदखल करने की बात करता है तो इसका मतलब यह है कि वह केवल किरायेदार को बेदखल करने के लिए ही उस भवन का मालिक बना है। इसलिए मेरा अमैडमैट इसमें शामिल किया जाए कि दस साल से वह कर्मचारी उस भवन का मालिक हो। इससे यह होगा कि जो कर्मचारी ठीक दस साल पहले ही किसी को बेदखल करने के लिए मकान खरीदा है, वह अपने किरायेदार को नहीं निकाल सकेगा। इसलिए मैंने जो अमैडमैट दी हुई है, उसको स्वीकार कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: डा० साहब, मैंने उसको डिसअली कर दिया है।

स्थानीय भासन मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियाल): अध्यक्ष महोदय, श्री हीरा नन्द आर्य ने कर्मचारियों और सरकार में तालमेल के बारे में समिति बनाने सम्बन्धित सुझाव दिया है, इस पर जरूर विचार किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, डा० हरनाम सिंह ने इसके दुरुपयोग की बात कही है। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए इस पर अमैडमैट की कोई जरूरत नहीं है। एक कर्मचारी के लिए दस साल पहले मकान लेना कई बार मुश्किल होता है। सभी कर्मचारी दस साल पहले मकान नहीं खरीद सकते। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस अमैडमैट की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष: वह मैंने डिसअली कर दी है।

श्री सुभाश चन्द कटियाल: ठीक है जी।

The motion was carried **Mr. Speaker:** Question is-

That the Haryana Urban (control of Rent and Eviction) Amendment Bill be taken into consideration at Once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now the Minister Will move that the Bill be passed.

Local Government Minister(Shri Subhash Chand Katyal): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is

That the Bill be passed.

(ii) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउसिंज एण्ड पैन् आण्ड मैम्बर्ज अमैडमैट) बिल, 1990

Mr. Speaker: Now the Home Minister will introduce the Haryan Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1990 and also move the motion for its consideration.

Home Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1990.

Sir, I also beg to move-

That the Haryan Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryan Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के विषय में यह कहना चाहता हूँ कि चाहे इस बिल के माध्यम से विधायक या मन्त्री का 100 रुपये बढ़ा दो, चाहे 200 रुपये बढ़ा दो, लेकिन लोगों के दिलों में आम यह धारण बनी हुई है कि विधायकों व मन्त्रियों की तनखाह तो होनी ही नहीं चाहिये। अगर तनखाह दो तो उन्हें इतनी दो ताकि वे ईमानदारी रह सकें और वह अपना गुजारा ईमानदारी से कर सकें। अध्यक्ष महोदय, 1935 में एक मन्त्री का वेतन पांच हजार होता था जिसकी आजकल के वक्त में अगर वैल्यू लगाई जाए तो 50000 रुपये बनती है। इसी तरह से एम0एल0एज0 की अगर रेटों लगाएँ तो उसका वेतन भी अठारह तीन हजार के लगभग होता था। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशासन इस बात से बदनाम नहीं होता कि तनखाह

कितनी है बल्कि देखता यह है कि हम ईमानदारी से भासन व प्र ासन कितना चला पतो है। यह लूट मार, नाजायज कब्जे, हेराफेरी इसिलिये होती है कि मंत्री और विधायक को उनके खर्च के हिसाब से, उनकी पोजी ान के हिसाब से वेतन नहीं मिलता। यह निश्चित करवा दिया जाए कि उसका वेतन कम से कम इतना हो जाए ताकि वह ईमानदारी से अपना काम कर सके और बच्चों का गुजारा कर सके। मैं कोई हिपोक्रेसी कि बात नहीं कर रहा। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि आप स्वयं ही इस बात का अन्दाजा लगाईए कि अगर कोई आदमी, विधायक या मंत्री के पास मिलने के लिए आता है तो वह चाय के वक्त चाय मागेगा, खाने के वक्त खाना मागेगा और अगर वह रात को ठहरता है उसको सोने के लिये बिस्तर भी चाहिये। इन सब बातों के खर्च के मुताबिक अगर कोई विधायक या मंत्री बढौरतरी की बात करता है तो फिर लोग कहेंगे, कि जब हमारी तनख्वाह बढाने की बात कही जाती है तो बढाते नहीं और अपने लिये सब तरह की बढौरती कर रहे हैं। कर्मचारी लोग भी यही कहेंगे कि अपनी तनख्वाह व भते बढा लेते हैं और हमारी बढाते नहीं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे विधायक या मंत्री लोग ईमानदारी से अपना गुजारा कर सके। बार बार इस तरह की बढौरती करने की बजाये एक ही बार, दो हजार, चार हजार, दस हजार बढा दे ताकि वह आराम से रहे सके। अगर हमारे पास आने जाने वालों के खर्च को देखा जाए तो, स्पीकर साहब, आप यह महसूस करेंगे कि यह जो बढौरती की जा रही है,

यह बहुत थोड़ी है। बेईमान आदमी के लिये तो यह कुछ भी नहीं है। वह तो बैठ बैठ यूही दो दो हजार रूपया खर्च कर देता है क्यों कि उसने रूपया बेईमानी से कमाया होता है। मैंने एक और प्वायट की और भी ध्यान दिलाना है। अगर किसी विधायक या मंत्री की हैसियत अच्छी है तो वह बे तक इसे न ले, इससे कोई फर्क नहीं पडता क्योंकि कई लोग ऐसे है जो एक रूपया तनखाह लेकर भी मंत्री बनने के लिए तैयार है और ऐसे लोग भी है जिनको अगर एम0एल0ए0 बना दे तो वे एक रूपया अपनी जेब से भी देने के लिए तैयार रहते है। ऐसे व्यक्तियों से सरकार, प्रशासन ठीक प्रकार से नहीं चल पाता।

इसी तरह से पैमान की बात है। पैमान अगर विधायक की करो तो कम से कम चीफ सैक्रेटरी से ज्यादा हो, चाहे एक रूपया ही ज्यादा क्यों न हो। हमारा दर्जा उन से कम नहीं है। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है। हमे उन से ज्यादा पैमान मिलनी चाहिये, उनकी चाहे घटा दो। सैक्रेटरी या चीफ सैक्रेटरी की जब तनखाह बढाने की बात आती है, गुजारे की बात आती है तो कहते है कि उनकी बढौरती कर दो। क्या उनको हमारे से ज्यादा पर लगे है ? मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि प्रशासक से भासन करने वाले ऊपर होते है, इसलिये उनकी तनखाह भी उनसे ज्यादा होनी चाहिये, चाहे एक ही रूपया क्यों न हो, वरना हमारी बात ठीक नह बैठती। इसलिये ईमानदारी व्यक्ति अगर ईमानदारी से इस बढे हुए पैसो को लेना चाहे तो ले ले, अगर कोई ने लेना

चाहे तो टाल कर दे। बस मैं इतना ही कहना चाहता था। अन्त में, मैं एक बार फिर कहूंगा कि इस तरह से विधायको व मन्त्रियों के लिये बार बार बढ़ाने से बेहतर होगा कि एक ही बार बढ़ौतरी कर दी जाए। धन्यवाद।

श्री हरनाम सिंह (गाहबाद): स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हम भारत देश के वासी हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं तथा जनता के प्रतिनिधि हैं। मैं समझता हूँ कि विधायक और जनता का निकट का संबंध होना चाहिए। हमारा जीवन ऊँचे आदर्श का तो होना चाहिए। इसलिए यह जो अलाउंस बढ़ाया है इससे मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन जो टैलिफोन का अलाउंस बढ़ाया है, वह ठीक है क्योंकि टैलिफोन की फाल्ज के रेट बढ़ गए हैं। तीसरी बात यह है जिस के बारे में मैंने अमैडमैट दी है एक विधायक के लिए बहुत जरूरी है कि वह लोगों का सही रूप से प्रतिनिधित्व कर सके। लोगों की जो दुख तकलीफ और शिकायतें हैं, उनको लिख कर सरकार तक भेजना, हमारे लिये बगैर किसी क्लर्क और दफतर से बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि विधायकों के लिए ऐसा प्रवाधान करना चाहिए ताकि हम एक इफैक्टिव विधायक बन सकें और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकें। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली, बिहार, यूपी तथा दूसरे प्रदेशों के बारे में मैंने सुना है कि विधायकों को हर साल अपनी कास्टिच्यूएँसी में डिवैल्पमेंट के लिए कुछ रूपया दिया जाता है। यानी अपनी कास्टिच्यूएँसी में डिवैल्पमेंट के लिए,

जो कार्य वह ठीक समझे, उस पैसे को वहां दे दे। मंत्रियों के पास ऐसा होता है। मैं समझता हूँ कि हर एक विधायक के लिए यह राशि निश्चित होनी चाहिए ताकि वे अपनी अपनी कास्टिचुएँसी में डिवैल्पमेंट के लिए, अपने तौर पर रूपया खर्च कर सकें। इन लफजों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ।

Mr. Speaker: Dr. Sahib, your amendment has been disallowed Question is-

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Sub -Clause (2) Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That sub - clause 2 of clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

Sub -Clause (2) Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That sub - clause 2 of clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now the Minister Will move that the Bill be passed.

Home Minister(Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is

That the Bill be passed.

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव—

15.1.1990 तक हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लिए गए ऋण को दाने वाले विवरण सम्बन्धी

Mr. Speaker: Hon'ble Members there is a motion under Rule 84 from Dr. Mangal Sein, M.L.A for the discussion of the statement showing the Loans raised by the Haryana State Electricity Board up to 15-1-1990, which was laid on the Table of the House on the 20th March, 1990. He may please move his motion.

(Dr. Mangal Sein was not present in the House)

Mr. Speaker: As the Hon'ble Members is not present, the motion is not moved and discussed.

अब हाउस साइने डाई ऐडजर्न होता है।

11.00 बजे

(तत्पश्चात् सदन निश्चित काल के लिए स्थगित हुआ।)